

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

शिमला—4, 15 दिसम्बर, 2009

संख्या : वि0 स0—लैज—गवर्नमेंट बिल/1—51/2009.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आबकारी विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक—27) जो आज दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व—साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

गोवर्धन सिंह,
सचिव ।

2009 का विधेयक संख्यांक 27

हिमाचल प्रदेश आबकारी विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

मादक शराब के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जे, आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय और विक्रय से सम्बन्धित विधि को समेकित, संशोधित और अद्यतन करने तथा मादक शराब पर आबकारी शुल्क और प्रतिशुल्क के उद्ग्रहण के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

अध्याय—1

प्रारम्भिक और परिभाषाएं

- संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2009 है ।
- परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो,—
 - “बियर” से चीनी और हॉप्स के संयोजन के साथ या उसके बिना माल्ट अथवा अनाज से तैयार ऐल्कोहलिक पेय अभिप्रेत है तथा इसके अन्तर्गत ब्लैक बियर, जौ की शराब, यवसुरा, जौ की तीव्र लाल मदिरा और ऐसे अन्य पदार्थ, जैसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, भी हैं;
 - “बोतल में भरना” से पीपे (कास्क) या अन्य बर्तन से बोतल या अन्य अनुमोदित पात्र में शराब डालना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत पुनः बोतल में भरना भी है;
 - “ब्रुअरि” से ऐसा परिसर अभिप्रेत है जहां बियर विनिर्मित की जाती है और इसमें प्रत्येक ऐसा स्थान सम्मिलित है जहां बियर का भण्डारण किया जाता है या जहां से यह दी (भेजी) जाती है;
 - “कलक्टर” से इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
 - “विकृत” से कारगर तौर पर और स्थायी रूप से मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त कर देना अभिप्रेत है;

(च) “डिस्टिलरि” से ऐसा परिसर अभिप्रेत है जहां स्पिरिट विनिर्मित की जाती है, और इसमें प्रत्येक ऐसा स्थान सम्मिलित है जहां इसका भण्डारण किया जाता है या जहां से यह दी (भेजी) जाती है;

(छ) “आबकारी शुल्क” और “प्रतिशुल्क” से, यथास्थिति, ऐसा कोई आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क अभिप्रेत है जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची-II की प्रविष्टि 51 में यथा वर्णित है;

(ज) “आबकारी अधिकारी” से इस अधिनियम की धारा (6) के अधीन नियुक्त या शक्तियों से विनिहित कोई अधिकारी या व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) “आबकारी राजस्व” से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्गृहीत या संदेय किसी संदाय, शुल्क, अनुज्ञाप्ति फीस या अन्य फीस, अधिरोपित जुर्माना या शास्ति या आदेशित अधिहरण से व्युत्पन्न या व्युत्पाद्य राजस्व अभिप्रेत है, परन्तु इसके अन्तर्गत न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना नहीं है;

(ज) “निर्यात” से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क सीमांत क्षेत्र से अन्यथा, हिमाचल प्रदेश से बाहर ले जाना अभिप्रेत है;

(ट) “वित्तायुक्त” से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त अभिप्रेत हैं;

(ठ) “आयात” से (“भारत में आयात” अभिव्यक्ति में के सिवाय) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क सीमांत क्षेत्र से अन्यथा हिमाचल प्रदेश में लाना अभिप्रेत है;

(ड) “अनुज्ञाप्ति” से इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञाप्ति अभिप्रेत है;

(झ) “शराब” से मादक शराब अभिप्रेत है और जिसके अन्तर्गत सभी द्रव हैं, जिनमें एल्कोहल विद्यमान है या प्रयुक्त है चाहे उसे किण्वन द्वारा या पश्चात्वर्ती आसवन द्वारा अभिप्राप्त किया है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई पदार्थ भी है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा शराब घोषित करे;

(ण) “विनिर्माण” के अन्तर्गत ऐसी कोई प्रक्रिया है, चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की शराब का उत्पादन किया जाता है या उसे तैयार किया जाता है और इसके अन्तर्गत पुनः आसवन तथा शराब के परिशोधन, अवकरण, सुवासन, सम्मिश्रण या रंजन करने या बोतलीकरण के लिए प्रत्येक प्रक्रिया भी है;

(त) “औषधीय निर्मितियों” और “प्रसाधन निर्मितियों” के वही अर्थ होंगे जो औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) में उनके हैं;

(थ) “शीरा” से खाण्डसारी चीनी सहित, गुड़ या चीनी के विनिर्माण की अन्तिम अवस्था में गन्ने या गुड़ से उत्पादित गहरा काला रंगीन चिपचिपा तरल (द्रव) अभिप्रेत है, जब तरल (द्रव) या किसी ऐसे रूप में या चीनी सहित मिश्रण हो, जिसे किण्वित किया जा सके;

(द) “अधिसूचना” से इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी तथा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ध) “पास” से ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जो शराब के हटाए जाने या उसके परिवहन को वस्तुतः प्राधिकृत करता है;

(न) “अनुज्ञापत्र” से गंतव्य स्थान से सम्बद्ध जिला के कलक्टर या शराब के आयात और परिवहन के लिए इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी अनापत्ति का कथन अभिप्रेत है; और इसके अन्तर्गत खुदरा बिक्री की सीमा से अधिक शराब के कब्जे को प्राधिकृत करने वाला दस्तावेज अभिप्रेत है;

(प) ‘स्थान’ के अन्तर्गत कोई भवन, दुकान, टैन्ट, अहाता, बूथ, यान, जलयान, नौका (बोट) और राफ्ट है;

(फ) ‘विहित’ से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ब) ‘विक्रय’ के अन्तर्गत दान से अन्यथा कोई अन्तरण है;

(भ) ‘राज्य’ से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(म) ‘राज्य सरकार’ से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(य) ‘स्पिरिट’ से आसवन द्वारा प्राप्त कोई ऐल्कोहलयुक्त तरल (द्रव) चाहे विकृत हो अथवा नहीं, अभिप्रेत है;

(यक) ‘परिवहन’ से राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना अभिप्रेत है;

(यख) ‘यान’ से किसी भी प्रकार का पहिएदार वाहन अभिप्रेत है जो चलाए जाने के लिए सक्षम है और इसके अन्तर्गत एअरक्राफ्ट, नौका (बोट), जलयान, राफ्ट, मोटर यान, छकड़ा और पशु द्वारा वहन भी हैं;

(यग) ‘भाण्डागार’ से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां शराब का भण्डारण अनुज्ञात है और इसके अन्तर्गत विनिर्माणशाला का सुसंगत भाग भी है; और

(यघ) ‘वाइनरी’ से ऐसा परिसर अभिप्रेत है जहां मदिरा (वाइन) विनिर्मित की जाती है और इसमें प्रत्येक ऐसा स्थान सम्मिलित है जहां इसका भण्डारण किया जाता है या जहां से यह भेजी जाती है।

3. **देशी शराब और विदेशी शराब**.—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु, किसे “देशी शराब” और किसे “विदेशी शराब” समझा जाए।

4. **जारी की गई अधिसूचनाओं, अनुज्ञाप्ति आदि के लागू करने को सीमित करने की शक्ति**.—जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाती है, कोई नियुक्ति की जाती है, कोई शक्ति प्रदत्त की जाती है, या कोई अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास प्रदान किया जाता है, तो राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह यह निदेश दें कि—

(क) यह समस्त राज्य या किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों को लागू होगा/होगी;

(ख) यह समस्त या किसी वर्ग के व्यक्तियों, अधिकारियों या ऐसे अधिकारियों के कृत्यों और शक्तियों को लागू होगा/होगी;

(ग) यह समस्त किसी विनिर्दिष्ट शराब या इसके प्रकार को लागू होगा/होगी; और

(घ) यह केवल कुछ विशेष अवधि या अवसर हेतु प्रवृत्त रहेगा/रहेगी।

अध्याय—2

स्थापन और नियन्त्रण

5. वित्तायुक्त और कलक्टर.—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, आबकारी एवं कराधान आयुक्त जो वित्तायुक्त की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा नियुक्त कर सकेगी और राज्य सरकार के नियन्त्रण के अधीन आबकारी सम्बन्धी सभी मामलों का साधारण अधीक्षण एवं प्रशासन उस में निहित होगा।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कलक्टर के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिसूचना द्वारा उतने कलक्टर नियुक्त कर सकेगी जितने वह उचित समझे और कलक्टर, वित्तायुक्त के नियन्त्रण के अधीन, अपनी अधिकारिता के भीतर अन्य समस्त आबकारी अधिकारियों को नियंत्रित करेगा।

(3) वित्तायुक्त की अधिकारिता का विस्तार समस्त राज्य में होगा और कलक्टर की अधिकारिता का विस्तार, राज्य के उस क्षेत्र, जिस में वे तत्समय नियोजित हैं, में होगा।

6. आबकारी अधिकारियों के अन्य वर्ग तथा उनकी शक्तियां और अधिकारिता.—(1) आबकारी अधिकारियों के ऐसे अन्य वर्ग होंगे जैसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करे और यह उतने व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जितने को वह इन वर्गों के लिए आबकारी अधिकारी होना उचित समझे।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन आबकारी अधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए, किसी व्यक्ति में, जो आबकारी अधिकारी न हो, अधिसूचना द्वारा, शक्तियां विनिहित कर सकेगी और इन कृत्यों का प्रयोग करने वाला ऐसा व्यक्ति आबकारी अधिकारी समझा जाएगा।

(3) राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ग के आबकारी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियों को अधिसूचना द्वारा घोषित करेगी।

(4) आबकारी अधिकारियों की अधिकारिता, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निर्दिष्ट न करे, उन जिलों को विस्तारित होगी जिनमें वे तत्समय नियोजित हैं।

7. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त व्यक्तियों का लोक सेवक होना.—इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

8. प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति.—कोई भी आबकारी अधिकारी, जो ऐसी पंक्ति से नीचे का न हो, जैसी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे,—

- (क) किसी भी समय, दिन या रात में किसी भी ऐसे स्थान, जिसमें कोई अनुज्ञाप्त विनिर्माता किसी भी प्रकार की शराब का विनिर्माण या भण्डारकरण करता हो, में प्रवेश कर सकेगा और निरीक्षण कर सकेगा;
- (ख) किसी भी समय, किसी भी ऐसे स्थान में, जिसमें इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञित धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विक्रय के लिए शराब रखी गई है, प्रवेश कर सकेगा और निरीक्षण कर सकेगा;
- (ग) किन्हीं लेखों और रजिस्टरों का परीक्षण कर सकेगा, किसी सामग्री, भट्टियों (स्टिलज), बर्तनों, उपकरणों, साधित्रों या परीक्षण उपकरणों या उस स्थान में पाई गई शराब का परीक्षण, माप या तोल कर सकेगा;
- (घ) किन्हीं लेखों, रजिस्टर, माप बाटों या परीक्षण उपकरणों को जब्त कर सकेगा जिनके बारे उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वे मिथ्या या गलत हैं; और

(ङ) किसी शाराब, जिसके बारे में उस के पास विश्वास करने का कारण है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखे गए लेखों और रजिस्टर में उस का लेखा नहीं दिया गया है, को जब्त कर सकेगा।

9. अन्वेषण करने की शक्ति।—(१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी आबकारी अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, जो उस अधिकारी की अधिकारिता वाले क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किया गया हो, अन्वेषण करने की शक्ति दे सकेगी।

(२) इस प्रकार सशक्त प्रत्येक अधिकारी, उन सीमाओं के भीतर, ऐसे अन्वेषण की बाबत, वैसी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का २) के अध्याय १२ के उपबन्धों के अधीन, किसी संज्ञेय मामले में, किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी प्रयोग करे।

10. आबकारी अधिकारी की तलाशी, अभिग्रहण आदि की शक्तियां।—(१) जब कभी किसी आबकारी अधिकारी, जो ऐसी पंक्ति से नीचे का न हो जैसी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को, किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्थान पर किया गया है, या किया जा रहा है, या किए जाने की सम्भावना है और अपराधी को, भागने या अपराध का साक्ष्य छिपाने का अवसर दिए बिना तलाशी वारण्ट अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता है तो, वह किसी भी समय रात या दिन को, ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(२) उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट कोई भी आबकारी अधिकारी, ऐसे स्थान पर पाई गई प्रत्येक वस्तु, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि यह इस अधिनियम के अधीन अधिग्रहण के लिए दायी है, का अभिग्रहण कर सकेगा और यदि वह उचित समझे तो, ऐसे स्थान पर पाए गए किसी व्यक्ति, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह उपरोक्त ऐसे अपराध का दोषी है, को निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा और उसे गिरफ्तार कर सकेगा।

11. मजिस्ट्रेट की तलाशी लेने या गिरफ्तारी करने के लिए वारण्ट जारी करने की शक्ति।—कोई मजिस्ट्रेट जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है, या उसके किए जाने की सम्भावना है, तो वह—

(क) किसी स्थान, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है, कि उसमें कोई शाराब, भट्ठी (स्टिल), बर्टन, उपकरण, साधित्र या सामग्री, जिसकी बाबत ऐसा अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की सम्भावना है, रखी गई है या छिपाई गई है, की तलाशी के लिए वारण्ट जारी कर सकेगा; और

(ख) किसी व्यक्ति, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे किसी अपराध के किए जाने में लगा हुआ है, लगाया जा सकता है, या उसके लगाए जाने की सम्भावना है, की गिरफ्तारी का वारण्ट जारी कर सकेगा।

12. आबकारी अधिकारियों की सूचना अभिप्राप्त करने की शक्ति।—(१) कोई भी आबकारी अधिकारी, जो ऐसी पंक्ति से नीचे का न हो, जैसी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति से, किसी भी प्रकार की शाराब या किसी भी प्रकार की शाराब के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किसी सामग्री, भट्ठी (स्टिल), बर्टन, उपकरण या साधित्र चाहे किसी भी प्रकार का हो, के किसी भी अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, विक्रय, क्रय या कब्जे से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी को, किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या व्यक्ति को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, देने की अपेक्षा कर सकेगा।

(२) कोई भी व्यक्ति, जिस पर उपधारा (१) के अधीन आदेश की तामील की गई है, युक्तियुक्त कारण के अभाव में, सही सूचना देने को बाध्य होगा।

13. पुलिस अधिकारियों द्वारा आबकारी अधिकारियों आदि की सहायता करना और अभिगृहीत वस्तुओं का प्रभार लेना।—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन में समस्त पुलिस अधिकारी, आबकारी अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों की सहायता करेंगे।

(2) पुलिस स्टेशन का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत सभी वस्तुओं, जो उसे परिदृत की जाएं, को न्यायिक मजिस्ट्रेट या सम्बद्ध कलक्टर या इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन किसी मामले का अन्वेषण करने को सशक्ति किसी अधिकारी के आदेशों तक, अपने प्रभार में लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और किसी भी आबकारी अधिकारी, जो ऐसी वस्तुओं के साथ-साथ पुलिस स्टेशन जाए या जिसे उसके विरिष्ट अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त किया हो, को ऐसी वस्तुओं पर मोहर लगाने देगा और उनके तथा उनसे नमूने लेने देगा और इस प्रकार लिए गए सभी नमूने, पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी की मोहर सहित मुहरबन्द किए जाएंगे।

14. शराब की दुकानें (लीकर वेन्डज) बन्द करने की शक्ति।—वित्तायुक्त, राज्य सरकार या भारत के निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित नशाबन्द दिवस (ड्राइडेज), के अनुपालन के लिए ऐसा (ऐसे) दिन (दिनों को) विहित करेगा, जिस दिन शराब की दुकान बन्द रहेगी:

परन्तु यदि जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि शराब की दुकान के आसपास कोई बलवा या विधि विरुद्ध जमाव हुआ है या होने की सम्भावना है तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के अध्यधीन, आदेश द्वारा, ऐसे समय पर जैसा कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी शराब की दुकान के अनुज्ञितधारी से दुकान बन्द रखने की अपेक्षा करेगा :

परन्तु यह कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन पारित आदेश, एक समय में, जब इसे पारित किया गया है; 24 घण्टे से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा :

परन्तु यह और कि जिला मजिस्ट्रेट वित्तायुक्त और सम्बद्ध कलक्टर को, स्वयं द्वारा पारित आदेश को ऐसे आदेश के किए जाने से यथाशीघ्र सूचित करेगा।

अध्याय—3

उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय या विक्रय

भाग—क विनिर्माण

15. इस अधिनियम के अधीन के सिवाय शराब के विनिर्माण का प्रतिषेध।—(1) कोई भी व्यक्ति वित्तायुक्त के प्राधिकार के अधीन और इस निमित्त उसके द्वारा विहित की जाने वाली शर्तों एवं निबन्धनों के अध्यधीन के सिवाय—

- (क) किसी भी प्रकार की शराब का विनिर्माण या उत्पादन नहीं करेगा, या
- (ख) डिस्टिलरि, ब्रुअरि या भाण्डागार (जहां किसी भी प्रकार की शराब जमा की जा सके और आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क का संदाय किए बिना रखी जा सके), का निर्माण या संचालन नहीं करेगा, या
- (ग) किसी भी प्रकार की शराब को बोतल में नहीं भरेगा, या
- (घ) किसी भी प्रकार की शराब के विनिर्माण या उत्पादन के लिए किसी भी सामग्री, भट्ठी (स्टिल), बर्तन, उपकरण या साधित्र का, चाहे किसी भी प्रकार का हो, न तो प्रयोग करेगा, न रखेगा, या न ही कब्जे में रखेगा।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी भी प्रकार की आसुत शराब का, किसी भी प्रकार या वर्ग की शराब के विनिर्माण में उपयोग प्रतिषिद्ध कर सकेगी।

16. डिस्टिलरियों ब्रुआरियों, वाइनरि या भाण्डागार की स्थापना या अनुज्ञापन.—वित्तायुक्त, ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों, जैसे राज्य सरकार अधिरोपित कर सकेगी, के अध्यधीन—

- (क) कोई डिस्टिलरि स्थापित कर सकेगा जिसमें धारा 15 के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञाप्ति के अधीन स्पिरिट विनिर्मित की जा सकेगी;
- (ख) इस प्रकार स्थापित किसी डिस्टिलरि को बन्द कर सकेगा;
- (ग) किसी डिस्टिलरि या ब्रुआरि या वाइनरि के निर्माण और संचालन की अनुज्ञाप्ति दे सकेगा;
- (घ) किसी भाण्डागार, जिसमें किसी भी प्रकार की शराब शुल्क के संदाय के बिना जमा की जा सकेगी और रखी जा सकेगी, की स्थापना कर सकेगा और अनुज्ञाप्ति दे सकेगा;
- (ङ) इस प्रकार स्थापित किसी भाण्डागार को बन्द कर सकेगा; और
- (च) निम्नलिखित की बाबत नियम बना सकेगा—
 - (1) डिस्टिलरियों, स्टिलज, ब्रुआरियों या वाइनरियों के लिए अनुज्ञाप्ति प्रदान करना;
 - (2) डिस्टिलरि, ब्रुआरि या वाइनरि के अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा निषिप्त की जाने वाली प्रतिभूति;
 - (3) अवधि, जिसके लिए अनुज्ञाप्ति प्रदान की जाएगी;
 - (4) ऐसी डिस्टिलरि, ब्रुआरि या वाइनरि और उनसे सम्बद्ध भाण्डागारों तथा उनमें बनाई और रखी गई स्पिरिट या किण्वित शराब का निरीक्षण और परीक्षण;
 - (5) डिस्टिलरि, ब्रुआरि या वाइनरि का प्रबन्धन और संचालन;
 - (6) अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा रखे जाने वाले लेखों और प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के प्ररूप;
 - (7) भवनों और संयन्त्रों का रख—रखाव;
 - (8) स्टिलज और अन्य संयन्त्रों के आकार और प्रकार;
 - (9) स्पिरिट या किण्वित शराब का विनिर्माण, भण्डारण और पास करना तथा पासों की विषय—वस्तुएं;
 - (10) अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा प्रभारित की जाने वाली कीमतें; और
 - (11) डिस्टिलरियों, ब्रुआरियों या वाइनरियों के संचालन से सम्बद्ध कोई अन्य मामले।

17. डिस्टिलरि ब्रुआरि या भाण्डागार आदि में विनिर्मित या संगृहीत (रखी) शराब को हटाने का प्रतिषेध.—किसी डिस्टिलरि, ब्रुआरि, वाइनरि या भाण्डागार अथवा इस अधिनियम के अधीन स्थापित या अनुज्ञाप्त भण्डारण के किसी अन्य स्थान में विनिर्मित या संगृहीत (रखी) किसी भी प्रकार की शराब को वहां से तब तक नहीं ले जाया जाएगा जब तक, यथास्थिति, धारा 36 के अधीन उद्गृहीत और देय आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क, यदि कोई हो, को संदर्त न कर दिया गया हो या उसके संदाय हेतु यथाविहित बंधपत्र निष्पादित न कर दिया गया हो।

भाग—ख कब्जा

18. शराब के कब्जे का प्रतिषेध.—(1) कोई भी व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा धारा 25 के अधीन खुदरा बिक्री की घोषित सीमा से अधिक किसी भी मात्रा की शराब को—

- (क) ऐसी वस्तु के विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय या आपूर्ति हेतु अनुज्ञाप्ति, या
- (ख) इस निमित्त कलवटर द्वारा जारी किसी अनुज्ञा पत्र या पास के प्राधिकार के अधीन या इनके निबन्धनों और शर्तों के अनुसार के सिवाय, अपने कब्जे में नहीं रखेगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी सामान्य वाहक या आबकारी अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य कर्मचारी या व्यक्ति के कब्जे की किसी भी प्रकार की शराब को लागू नहीं होगी, जिसके पास इस अधिनियम के अधीन इसकी विधिपूर्ण अभिरक्षा है।

(2) कोई भी अनुज्ञाप्त विक्रेता अपने पास उसे अनुज्ञाप्ति द्वारा प्राधिकृत से भिन्न किसी भी स्थान पर, राज्य सरकार द्वारा धारा 25 के अधीन खुदरा बिक्री की घोषित सीमा से अधिक मात्रा की किसी भी प्रकार की शराब को, इस निमित्त कलक्टर द्वारा जारी अनुज्ञापत्र के अधीन के सिवाय अपने कब्जे में नहीं रखेगा।

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी प्रकार की शराब के कब्जे को प्रतिषिद्ध कर सकेगी या ऐसे कब्जे को, ऐसी शर्तों द्वारा, जैसी यह अधिरोपित करे, निर्बन्धित कर सकेगी।

19. कतिपय व्यक्ति द्वारा अप्रयुक्त और मुद्रित लेबल, डाट (कॉर्क) आदि अपने कब्जे में रखना दण्डनीय।—कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन या तदधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अधीन, किसी प्राधिकारी द्वारा किसी डिस्टिलरि या ब्रुअरि, वाइनरि या भाण्डागार स्थापित करने या संचालित करने या शराब बोतल में भरने के लिए अनुज्ञाप्त व्यक्ति के उपयोग हेतु सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई अप्रयुक्त और मुद्रित लेबल, डाट (कॉर्क), कैप्स्यूल या कोई अन्य लेबल, डाट (कॉर्क), कैप्स्यूल या सील जो, यथास्थिति, ऐसे अप्रयुक्त और मुद्रित लेबल, डाट (कॉर्क), कैप्स्यूल, या सील की नकल हो, अपने कब्जे में नहीं रखेगा :

परन्तु उसमें कोई भी—

(क) किसी व्यक्ति जो डिस्टिलरि, ब्रुअरि, वाइनरि, या भाण्डागार स्थापित या संचालन करने या शराब को बोतल में भरने के लिए अनुज्ञाप्त हो; या

(ख) किसी व्यक्ति, जो खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से प्राप्त आदेश के निष्पादन में, ऐसे किसी लेबल, डाट (कॉर्क), कैप्स्यूल या मुद्रा का विनिर्माण करता है या मुद्रित करता है; को लागू नहीं होगा।

20. विधिविरुद्धतया विनिर्मित, आयातित, परिवाहित आदि शराब के कब्जे का प्रतिषेध।—कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार की शराब की किसी भी मात्रा को यह जानते हुए कि यह विधिविरुद्धतया विनिर्मित, आयातित, परिवाहित की गई है या यह जानते हुए कि उस पर विहित आबकारी शुल्क, प्रतिशुल्क या अन्य फीस संदर्भ नहीं की गई है, अपने कब्जे में नहीं रखेगा।

भाग—ग आयात, निर्यात और परिवहन

21. शराब के आयात, निर्यात या परिवहन का प्रतिषेध।—किसी भी प्रकार की शराब का,—

(क) आबकारी शुल्क या फीस या प्रतिशुल्क, यदि कोई है जिसके लिए यह इस अधिनियम के अधीन दायी हो, के संदाय या ऐसे संदाय हेतु यथा विहित बंधपत्र के निष्पादन, और

(ख) राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शर्तों के अनुसार के सिवाय,

आयात या निर्यात या परिवहन नहीं किया जाएगा।

22. शराब का आयात, निर्यात या परिवहन प्रतिषिद्ध करने या अनुज्ञा देने की राज्य सरकार की शक्ति।—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा,—

(क) राज्य से या उसके किसी भाग में या से किसी भी प्रकार की शराब का आयात या निर्यात, या

(ख) किसी भी प्रकार की शराब का परिवहन, प्रतिषिद्ध कर सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य सरकार द्वारा विहित की जाने वाली मात्रा से अधिक मात्रा की किसी भी प्रकार की शराब का, कलक्टर द्वारा जारी पास के प्राधिकार के अधीन के सिवाय, आयात, निर्यात या परिवहन नहीं किया जाएगा :

परन्तु ऐसी शर्तों पर, जैसी वित्तायुक्त विहित करे अन्य राज्य में प्रवृत्त आबकारी कानून के अधीन प्रदान किया गया पास, इस अधिनियम के अधीन प्रदान किया गया पास समझा जा सकेगा।

भाग-घ विक्रय इत्यादि

23. शराब के विक्रय आदि का प्रतिषेध।—(1) किसी भी प्रकार की शराब का विक्रय, यथास्थिति, वित्तायुक्त या कलक्टर के प्राधिकार के अधीन, और इस निमित्त जारी अनुज्ञाप्ति के निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन के सिवाय, नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी प्रकार की शराब का विक्रय उपधारा (1) के अधीन जारी अनुज्ञाप्ति में विनिर्दिष्ट स्थान से अन्यथा किसी स्थान से नहीं किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, उपधारा (1) के अधीन जारी अनुज्ञाप्ति के प्राधिकार के सिवाय, शराब के उपभोग की अनुमति नहीं देगा।

(4) इस धारा की कोई बात, किसी व्यक्ति द्वारा उसके अपने उपयोग के लिए विधिपूर्ण ढंग से उपाप्त और उसके द्वारा या उसकी ओर से या उसके प्रतिनिधियों की ओर से उसके स्थान छोड़ने के कारण या उसकी मृत्यु के पश्चात् विक्रीत किसी प्रकार की विदेशी शराब पर लागू नहीं होगी।

24. अपमिश्रित शराब के विक्रय आदि का प्रतिषेध।—कोई अनुज्ञाप्त विक्रेता और ऐसे विक्रेता के नियोजन में या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति किसी प्रकार की शराब को, जिसे विक्रीत करने हेतु विक्रेता अनुज्ञाप्त है, कोई पदार्थ मिलाकर ऐसी रीति में अपमिश्रित नहीं करेगा जिससे कि ऐसी शराब का विहित प्राबल्य (स्ट्रेन्थ) या गुणवत्ता (क्वालिटी) में फेर-फार हो तथा कोई ऐसा विक्रेता या व्यक्ति किसी प्रकार की ऐसी अपमिश्रित शराब अपने कब्जे में नहीं रखेगा, उसका भण्डारण नहीं करेगा, उसका विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए नहीं रखेगा।

25. शराब की खुदरा और थोक विक्री की सीमा घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति।—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा या तो सम्पूर्ण राज्य या उसमें समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र की बाबत और सामान्यतः क्रयों या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के क्रेताओं के सम्बन्ध में, और सामान्यतयः या किसी विनिर्दिष्ट अवसर पर, किसी भी प्रकार की शराब, जिसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए खुदरा या थोक द्वारा विक्रय किया जा सकता है, की अधिकतम और न्यूनतम मात्रा या दोनों को घोषित कर सकेगी।

26. अवयस्क को विक्रय या उसके नियोजन का प्रतिषेध।—कोई भी अनुज्ञाप्त विक्रेता या ऐसे विक्रेता के नियोजन में कोई व्यक्ति या उसकी ओर से कार्य करने वाला,—

- (i) अठारह वर्ष से कम की आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शराब का विक्रय नहीं करेगा या परिदान नहीं करेगा; या
- (ii) अठारह वर्ष से कम की आयु या स्पर्शजन्य रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को, परिसर के किसी भी भाग में, जिसमें जन-साधारण द्वारा ऐसे शराब का उपयोग किया जाता है, पारिश्रमिक के साथ या पारिश्रमिक के बिना नियोजित नहीं करेगा या नियोजित किए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

अध्याय—4

अनुज्ञाप्तियां, अनुज्ञा पत्र और पास

27. विनिर्माण विक्रय आदि के लिए पट्टे अनुदत्त करना।—(1) राज्य सरकार, संविदा करने के लिए सक्षम किसी भी व्यक्ति को, उत्पाद शुल्क या प्रतिशुल्क के अतिरिक्त ऐसी राशि के संदाय पर ऐसी शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए जैसी यदि उचित समझे किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर किसी देशी शराब, विदेशी शराब, बियर, वाईन, स्प्रिट के—

- (क) विनिर्माण द्वारा या थोक द्वारा प्रदाय करने अथवा दोनों, या
- (ख) थोक द्वारा या खुदरा द्वारा विक्रय, या
- (ग) भण्डारण या विनिर्माण या बिक्री के अधिकार को पट्टे पर दे सकेगी।

(2) राज्य सरकार ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी शर्तों पर जैसी वित्तायुक्त धारा 28 के अधीन निर्दिष्ट कर सकेगा, संविदा करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति को—

- (क) जनजातीय क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट फलों या अनाज से आसवन द्वारा देशी शराब, या
- (ख) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अनाज से देशी किण्ठित शराब,

घरेलू उपयोग हेतु विनिर्मित करने और अपने कब्जे में रखने के अधिकार पट्टे पर दे सकेगी।

स्पष्टीकरण।—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए 'जनजातीय क्षेत्र' या 'विनिर्दिष्ट क्षेत्र' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत होगा, जो निरसित पंजाब एक्साईज एक्ट, 1914 के अधीन हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2009 के प्रारम्भ की तारीख को 'जनजातीय क्षेत्र' या 'विनिर्दिष्ट क्षेत्र' अधिसूचित हो।

(3) वित्तायुक्त, ऐसे पट्टे के निबंधनों के अनुसार, पट्टेदार को शराब के विनिर्माण या प्रदाय हेतु ऐसी अनुज्ञाप्ति अनुदत्त (प्रदान) कर सकेगा जैसी राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित की जाए; परन्तु कलक्टर, पट्टेदार को थोक द्वारा या परचून द्वारा विक्रय हेतु ऐसी अनुज्ञाप्तियां प्रदान कर सकेगा जैसी वित्तायुक्त विहित करे।

(4) कलक्टर, उपधारा (2) के अधीन किसी पट्टेदार को ऐसे प्ररूप में अनुज्ञापत्र प्रदान कर सकेगा जैसे वित्तायुक्त विहित कर सकेगा।

28. अनुज्ञाप्तियों, अनुज्ञापत्रों और पास प्रदान करने हेतु फीस तथा अन्य शर्तें।—(1) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास—

- (क) ऐसी फीस, यदि कोई हो, के संदाय पर,
- (ख) ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों से अन्तर्विष्ट,
- (ग) ऐसे निबन्धनों और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, और
- (घ) ऐसी अवधि के लिए, प्रदान किया जाएगा,

जैसी वित्तायुक्त विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, वित्तायुक्त की निदेश जारी करने की शक्ति में डिस्टिलरि, ब्रुअरि या वाइनरि या भाण्डागार के अनुज्ञप्तिधारी को—

(क) सम्बद्ध आबकारी अधिकारी को अनुज्ञाप्त परिसरों में या के नजदीक मुफ्त आवास की व्यवस्था करने, ऐसा न होने पर ऐसे आवास के लिए भाटक और अन्य प्रभारों, जो वित्तायुक्त द्वारा नियत किए जा सकेंगे का राज्य सरकार को संदाय करने, और

(ख) ऐसे आबकारी अधिकारियों के वेतन और भत्तों सहित लागतों, प्रभारों और व्ययों, जो राज्य सरकार ऐसी डिस्टिलरि, ब्रुअरि, वाइनरि या भाण्डागार के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में उपगत कर सकेगी, का राज्य सरकार को संदाय करने, के लिए निदेश देने की शक्ति सम्मिलित होगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाला प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी से, उसकी अनुज्ञप्ति के निबंधनों के पालन के लिए ऐसी प्रतिभूति देने या प्रतिभूति के स्थान पर ऐसा निष्केप करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो ऐसा प्राधिकारी निर्दिष्ट करे।

(4) वित्तायुक्त द्वारा बनाए गए नियमों के अध्यधीन कलक्टर जिला के भीतर किसी भी प्रकार की शराब के विक्रय के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान कर सकेगा।

परन्तु एक से अधिक जिलों में विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति केवल वित्तायुक्त द्वारा प्रदान की जाएगी।

(5) किन्हीं परिसरों, जो पूर्ववर्ती वर्ष में इस प्रकार अनुज्ञाप्त न किए गए हैं, में उपभोग हेतु शराब के परचून विक्रय के लिए किसी वर्ष में कोई अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पूर्व कलक्टर ऐसे उपाय करेगा, जो राज्य सरकार विहित करे, जो ऐसे परिसरों को अनुज्ञाप्त करने की बाबत स्थानीय लोक राय का पता लगाने के लिए उसे पूर्णतः समर्थ बनाएं।

29. अनुज्ञप्तियां आदि रद्द करने या निलम्बित करने की शक्ति—ऐसे निर्बन्धनों जैसे राज्य सरकार विहित करे, के अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास प्रदान करने वाला प्राधिकारी, इसे रद्द या निलम्बित कर सकेगा यदि—

(क) ऐसे इसके धारक द्वारा उक्त प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना अन्तरित या शिकमी (सबलेट) कर दिया हो; या

(ख) इसके धारक द्वारा संदेय कोई आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क या अन्य फीस सम्यक् रूप से संदत्त नहीं की गई हो; या

(ग) ऐसे पटटे (लीज), अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के धारक या उसके सेवकों द्वारा या उसकी अभिव्यक्ति या विवक्षित अनुज्ञा से कार्य करने वाले किसी अन्य द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के किन्हीं निर्बन्धनों और शर्तों का कोई उल्लंघन हुआ है; या

(घ) यदि उनका धारक, इस अधिनियम या हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005, (2005 का 12) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74)या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1983 (1984 का 3)य के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी संज्ञेय और अजमानीय अपराध, या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, (1985 का 61)या व्यापार और पर्यावरण वस्तु विन्ह अधिनियम, 1958 (1958 का 83) या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 482 से 489 (दोनों सहित) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या सीमा—शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 135 में निर्दिष्ट किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ङ) जहां, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास इस अधिनियम के अधीन पट्टा के प्राप्तिकर्ता (पट्टाधारी) के आवेदन पर, ऐसे प्राप्तिकर्ता (पट्टाधारी) के लिखित अनुरोध पर प्रदान किया गया है; या

(च) इच्छा पर, यदि अनुज्ञाप्ति या अनुज्ञापत्र या पास की शर्तें, ऐसे रद्दकरण या निलम्बन के लिए उपबन्ध करती हैं।

30. किसी अन्य अनुज्ञाप्ति को रद्द करने और फीस वसूल करने की शक्ति।—(1) जब किसी व्यक्ति द्वारा धारित अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास धारा 29 के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) के अधीन रद्द किया जाता है तो अनुज्ञाप्ति प्रदान करने वाला प्राधिकारी, उस की अधिकारिता के अधीन ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को प्रदत्त किसी अन्य अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास को भी रद्द कर सकेगा परन्तु यदि ऐसी अन्य अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया है तो वित्तायुक्त, उसे रद्द या निलम्बित कर सकेगा।

(2) धारा 29 के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) के अधीन किसी अनुज्ञाप्ति के रद्दकरण या निलम्बन की दशा में, यदि ऐसा रद्दकरण या निलम्बन न हुआ होता तो, शेष बची हुई अवधि जिस के लिए कोई अनुज्ञाप्ति चालू रहती है, के लिए संदेय फीस पूर्व-अनुज्ञाप्तिधारी से आबकारी राजस्व के रूप में वसूल की जाएगी।

31. अनुज्ञाप्ति आदि के रद्दकरण या निलम्बन हेतु कोई प्रतिकर या प्रतिदाय दावा योग्य नहीं।—जब कोई पट्टा, अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास धारा 29 के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) या धारा 30 के अधीन रद्द या निलम्बित किया गया है, तो, यथास्थिति, ऐसे पट्टा, अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास का धारक, इसके रद्दकरण या निलम्बन के लिए न तो किसी प्रतिकर का और न ही उस की बाबत संदर्भ किसी फीस या किए गए निक्षेप (जमा) का हकदार होगा।

32. अनुज्ञाप्ति आदि को प्रत्याहृत करने की शक्ति।—(1) जब कभी, वह प्राधिकारी जिसने इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास प्रदान किया है समझता है कि ऐसी अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास को धारा 29 में विनिर्दिष्ट से अन्यथा किसी हेतुक (कारण) के लिए प्रत्याहृत कर लिया जाना चाहिए, तो वह—

(क) उसके ऐसा करने के आशय के पन्द्रह दिनों के लिखित नोटिस के अवसान पर अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास का प्रत्याहरण कर सकेगा; या

(ख) ऐसी किसी अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास को तत्काल बिना नोटिस के प्रत्याहृत कर सकेगा।

(2) यदि कोई अनुज्ञाप्ति उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन बिना नोटिस के तत्काल प्रत्याहृत कर ली जाती है तो अनुज्ञाप्तिधारी को ऐसी राशि प्रतिकर के रूप में संदर्भ की जाएगी, जैसी वित्तायुक्त निदेश दे।

(3) जब इस धारा के अधीन कोई अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास प्रत्याहृत किया जाता है, तो उसकी बाबत अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा अग्रिम में संदर्भ की गई किसी फीस या किए गए किसी निक्षेप (जमा) का, राज्य सरकार को देय रकम, यदि कोई हो, को काटने के पश्चात्, उसे प्रतिदाय किया जाएगा।

33. अनुज्ञाप्ति आदि में तकनीकी अनियमितताएं।—(1) इस अधिनियम के अधीन जारी कोई भी पट्टा, अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि पट्टा, अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास में या उसके जारी करने से पूर्व की गई किसी कार्यवाही में कोई तकनीकी त्रुटि, अनियमितता या लोप है।

(2) तकनीकी त्रुटि, अनियमितता या लोप के बारे में वित्तायुक्त का विनिश्चय अन्तिम होगा।

34. अनुज्ञाप्ति आदि के नवीकरण से इन्कार करने पर कोई दावा नहीं।—कोई भी व्यक्ति, जिसे पट्टा, अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास जारी किया गया है उसके नवीकरण का दावा करने का हकदार नहीं होगा और उस अवधि, जिसके लिए यह प्रभावी रहते हैं, के अवसान पर पट्टा, अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के नवीकरण से किसी इन्कार के परिणामस्वरूप नुकसानी के लिए या अन्यथा कोई दावा नहीं होगा।

35. अनुज्ञाप्ति का अभ्यर्पण।—इस अधिनियम के अधीन शराब विक्रय करने के लिए जारी अनुज्ञाप्ति का कोई भी धारक उस प्राधिकारी को, जिसने अनुज्ञाप्ति जारी की है, उस द्वारा उसे अभ्यर्पित करने के अपने आशय के दिए गए एक माह के लिखित नोटिस के अवसान पर तथा अनुज्ञाप्ति की सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए वह चालू रहती, यदि अभ्यर्पण नहीं होता, के लिए देय फीस के संदाय के बिना अपनी अनुज्ञाप्ति अभ्यर्पित नहीं करेगा :

परन्तु यदि प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि अनुज्ञाप्ति अभ्यर्पित करने हेतु पर्याप्त कारण है तो वह, उसके धारक को ऐसे अभ्यर्पण पर संदेय राशि या उसके किसी भाग के लिए माफी (छूट) दे सकेगा।

स्पष्टीकरण।—इस धारा में यथा प्रयुक्त पद 'अनुज्ञाप्ति धारक' के अन्तर्गत वह व्यक्ति है जिसकी अनुज्ञाप्ति के लिए निविदा या बोली या आवेदन स्वीकृत किया गया है चाहे उसने वस्तुतः अनुज्ञाप्ति को प्राप्त नहीं किया है।

अध्याय—5

आबकारी शुल्क और प्रतिशुल्क

36. आबकारी शुल्क और प्रतिशुल्क।—(1) मानव उपभोग के लिए—

- (क) इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्रदान की गई किसी अनुज्ञाप्ति के अधीन राज्य में विनिर्मित, उत्पादित या बोतल में भरी गई;
- (ख) भारत में कहीं अन्यथा विनिर्मित या उत्पादित परन्तु राज्य में आयातित और परिवाहित; और
- (ग) इस अधिनियम की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसार आयातित, निर्यातित या परिवाहित;

किसी भी प्रकार की मद्यसारिक शराब पर, यथास्थिति, आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क, ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे, उद्गृहीत और संदत्त किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन मद्यसारिक शराब के परिवर्ती प्रकार, प्राबल्य, गुणवत्ता या मूल्य के अनुसार आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क मानव उपभोग हेतु विभिन्न दरों पर अधिरोपित किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

- (क) भारत में आयातित मानव उपभोग हेतु किसी मद्यसारिक शराब पर, और जो इसके आयात पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन शुल्क के लिए दायी थी, और
- (ख) मद्यसार युक्त औषधीय निर्मितियां और प्रसाधन निर्मितियां पर, जिन पर औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (आबकारी शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) के अधीन आबकारी शुल्क उद्गृहीत किया जाता है,

कोई आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

37. रीति, जिसमें शुल्क उद्गृहीत किया जाए।—समय, स्थान और रीति का विनियमन करने वाले ऐसे नियमों, जिनको वित्तायुक्त विहित करे, के अध्यधीन डिस्ट्रिलरि, ब्रुअरि, वाईनरि या भाण्डागार में आयातित, परिवाहित या विनिर्मित या से जारी मानव उपभोग हेतु मद्यसारिक शराब की मात्रा पर ऐसा शुल्क अनुपाततः उद्गृहीत किया जाएगा।

38. पट्टे प्रदान करने हेतु संदाय.—राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन उद्गृहणीय किसी आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क के अतिरिक्त या के स्थान पर धारा 27 के अधीन किसी अधिकार के पट्टे के प्रतिफलस्वरूप कोई रकम स्वीकार कर सकेगी।

अध्याय-6

अपराध और शास्तियां

39. विधिविरुद्ध उत्पादन विनिर्माण, कब्जे, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय आदि के लिए शास्ति.—(1) जो कोई भी, इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या तद्धीन बनाए गए नियमों या जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई किसी अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के उल्लंघन में—

(क) किसी भी प्रकार की शराब का उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात या परिवहन करता है, या
(ख) किसी डिस्टिलरि या ब्रुअरि या वाईनरि या भाण्डागार का निर्माण या संचालन करता है, या
(ग) किसी भी प्रकार की शराब के विनिर्माण या उत्पादन के प्रयोजन के लिए कोई सामग्री, भट्ठी (स्टिल), बर्टन, उपकरण या साधित्र चाहे जैसी भी हो, का प्रयोग करता है, रखता है या अपने कब्जे में रखता है,
तो वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, परन्तु पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा:

परन्तु यदि कोई अपराध—

(i) किसी भी प्रकार की शराब के विनिर्माण के लिए चालू भट्ठी (स्टिल) के कब्जे से सम्बद्ध है तो कारावास तीन वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना एक लाख रुपए से कम नहीं होगा;

(ii) लाहन के कब्जे से सम्बद्ध है तो कारावास एक वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा;

(iii) हिमाचल प्रदेश में अनुज्ञाप्त किसी डिस्टिलरि या भाण्डागार से अन्यथा विनिर्मित देशी शराब के कब्जे से सम्बद्ध—

(क) साढ़े सात लीटर से अनधिक मात्रा के लिए कारावास छह मास से कम नहीं होगा और जुर्माना पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा; और

(ख) साढ़े सात लीटर से अधिक मात्रा के लिए कारावास एक वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना दस हजार रुपए से कम नहीं होगा;

(iv) विदेशी शराब जिसका,—

(क) भारत में अनुज्ञाप्त किसी डिस्टिलरि या ब्रुअरि या वाईनरि या भाण्डागार में विनिर्माण हुआ हो; या

(ख) भारत में आयात किया गया हो और जिस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमा शुल्क उद्ग्रहणीय हो;

के कब्जे से सम्बद्ध है, तो कारावास एक वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना बीस हजार रुपए से कम नहीं होगा :

परन्तु यह और कि यदि कोई अपराध—

(i) पैंतालीस लीटर से अधिक देशी शराब; या

(ii) पैंतालीस लीटर से अधिक विदेशी शराब; या

(iii) पांच लीटर से अधिक अन्य स्पिरिट के आयात, निर्यात या परिवहन से सम्बद्ध हो, तो ऐसा कारावास तीन वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना एक लाख रुपए से कम नहीं होगा।

(2) जो कोई भी इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या तद्धीन बनाए गए नियमों या जारी की गई अधिसूचना, या किए गए किसी आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई किसी अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के उल्लंघन में—

(i) किसी प्रकार का अप्रयुक्त और मुद्रित लेबल, कॉर्क, संपुतिका (कैपस्युल), या मोहर या उसकी कोई अनुकृति अपने कब्जे में रखता है; या

(ii) किसी भी प्रकार की शराब का विक्रय करता है; या

(iii) किसी भी प्रकार की शराब बोतल में भरता है; या

(iv) इस अधिनियम के अधीन स्थापित या अनुज्ञाप्त किसी डिस्टिलरि, ब्रुअरि, वाईनरि या भाण्डागार से किसी भी प्रकार की शराब को हटाता है; या

(v) ऐसी शराब के विहित प्राबल्य या गुणवत्ता में परिवर्तन के आशय से कोई पदार्थ मिलाकर किसी प्रकार की शराब को अपमिश्रित करता है,

तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी परन्तु जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा, परन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

40. विकृत स्पिरिट को मानव उपभोग के योग्य बनाने या बनाने का प्रयास करने के लिए शक्ति।—जो कोई, किसी भी प्रकार की विकृत स्पिरिट को मानव उपभोग के योग्य बनाता है या बनाने का प्रयास करता है या मानव उपभोग के योग्य इस प्रकार बनाई गई या बनाने के लिए किए गए प्रयासयुक्त किसी प्रकार की स्पिरिट को जानबूझकर अपने कब्जे में रखता है, तो वह कारावास से जो छह मास से कम नहीं होगा परन्तु जो पांच वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा परन्तु जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

41. शराब में अपायकर पदार्थ मिलाने के लिए शास्ति।—जो कोई, उस द्वारा विक्रीत या विनिर्मित या कब्जे में किसी शराब में किन्हीं अपायकार औषधियों (ड्रगज) या किसी विजातीय घटक जिससे मानव को निःशक्तता या घोर उपहति या मृत्यु कारित हो, मिश्रित करता है, तो वह दोषसिद्धि पर,—

(क) यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो, दण्ड से जो मृत्युदण्ड तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा;

(ख) यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को घोर उपहति होती है, तो कारावास से, जिसकी अवधि छह वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा;

- (ग) यदि ऐसे किसी कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई अन्य पारिणामिक क्षति होती है, तो कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो लाख पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा; और
- (घ) यदि ऐसे किसी कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई क्षति नहीं होती है तो, कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण।—इस धारा के प्रयोजन के लिए पद ‘घोर उपहति’ का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 320 में परिभाषित है।

42. प्रतिकर का संदाय।—(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1970 का 2)में किसी बात के होते हुए भी तथा किसी अन्य दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायालय का, किसी मामले में धारा 41 के अधीन निर्णय पारित करते समय, यदि समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति ऐसी शराब के उपभोग के कारण हुई है, तो दोषी पाए गए व्यक्ति को—

- (क) प्रत्येक मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को कम से कम तीन लाख रुपए की रकम की, या
- (ख) जिस व्यक्ति को घोर उपहति कारित हुई हो को कम से कम दो लाख रुपए की रकम की, या
- (ग) उस व्यक्ति को किसी अन्य पारिणामिक क्षति के लिए कम से कम बीस हजार रुपए की, रकम की,

प्रतिकर के रूप में अदायगी के आदेश दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, उच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर सकेगा :

परन्तु कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उपधारा (1) के अधीन संदत्त किए जाने को आदेशित प्रतिकर की रकम न्यायालय में जमा न कर दी गई हो :

परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय, उक्त नब्बे दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील करने से पर्याप्त कारण द्वारा निवारित हुआ था।

43. अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवक द्वारा कर्तिपय कृत्यों के लिए शास्ति।—जो कोई, इस अधिनियम के अधीन जारी किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास का धारक होते हुए या ऐसे धारक के नियोजन में होते हुए या उसकी ओर से कार्य करते हुए—

- (क) धारा 26 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, या
- (ख) अनुज्ञप्त परिसर में विच्छूँखल आचरण या द्यूतक्रीड़ा या वैश्यावृति को अनुज्ञात करता है, या
- (ग) किसी आबकारी अधिकारी की मांग पर ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास को प्रस्तुत करने में जानबूझ कर असफल रहता है; या
- (घ) किसी भी मामले में, जिसके बारे में धारा 39 में उपबन्ध नहीं है, धारा 79 या 80 के अधीन बनाए गए किसी नियम का जानबूझ कर उल्लंघन करता है; या

(ङ) किसी अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की किन्हीं शर्तों, जो इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित नहीं है, के भंग में किसी बात को जानबूझ कर करता है या लोप करता है; या

(च) किसी भी प्रकार शराब के प्राबल्य (स्ट्रेन्थ) को, विहित सीमा से नीचे, कम करता है;

तो वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा लेकिन पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

44. अनुज्ञाप्त विनिर्माता या विक्रेता या उसके सेवक द्वारा कपट के लिए शास्ति।—यदि कोई अनुज्ञाप्त विनिर्माता या अनुज्ञाप्त विक्रेता या उसके नियोजन में या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति—

(क) किसी प्रकार की शराब, जिसके बारे में, वह जानता है या जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि ऐसी शराब परिशोधित स्पिरिट या देशी शराब से विनिर्मित की गई है; या

(ख) परिशोधित स्पिरिट या देशी शराब से इस प्रकार विनिर्मित शराब से अन्तर्विष्ट किसी बोतल, केस, पैकेज या अन्य पात्र या ऐसी शराब से अन्तर्विष्ट अन्य पात्र को यह विश्वास कराने के आशय से चिन्हांकित करता है कि ऐसी बोतल, केस, पैकेज या अन्य पात्र में विदेशी शराब है,

तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

45. रसायन (कैमिस्ट) की दुकान में शराब का उपभोग करने के लिए शास्ति।—(1) यदि कोई रसायनज्ञ (कैमिस्ट), औषधि विक्रेता औषधकार या औषधालय चलाने वाला कोई व्यक्ति, अपने व्यावसायिक परिसर में, किसी भी प्रकार की शराब का, जो वास्तव में औषधीय प्रयोजनों के लिए नहीं बनाई गई है, किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग करना अनुज्ञात करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम नहीं होगा, और जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति ऐसे परिसर में, ऐसी किसी शराब का उपभोग करता है, तो वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

46. सार्वजनिक स्थानों में शराब का उपभोग करने के लिए शास्ति।—जो कोई भी इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या तद्धीन बनाए गए किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना या किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में,—

(क) किसी अनुज्ञाप्त सार्वजनिक स्थान में शराब का उपभोग करता है, या

(ख) किसी स्थान पर शराब का उपभोग करने के पश्चात् किसी सार्वजनिक स्थान पर उत्पात करता है, तो—

(i) खण्ड (क) के अधीन किसी अपराध की दशा में, जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा और पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा; और

(ii) खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम नहीं होगा तथा दस हजार रुपए तक का हो सकेगा,

दण्डनीय होगा।

47. अन्यथा अनुपबन्धित अपराधों के लिए शास्ति।—जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना या किए गए किसी आदेश के उपबन्धों के उल्लंघन में, जिसके

लिए इस अधिनियम में उपबन्ध नहीं है, किसी कार्य का या साशय लोप का दोषी है, तो वह ऐसे प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

48. किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के मद्दे विनिर्माण, विक्रय या कब्जा।—(1) जब किसी भी प्रकार की शराब, किसी अन्य व्यक्ति के मददे किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्मित की गई है या विक्रीत की गई है या कब्जे में रखी गई है और ऐसा अन्य व्यक्ति जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा विनिर्माण या विक्रय उसके मद्दे था या ऐसा कब्जा उसके मद्दे है, तो वह वस्तु इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा विनिर्मित की गई या विक्रय की गई समझी जाएगी या उसके कब्जे में समझी जाएगी।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी भी व्यक्ति को, जो किसी अन्य व्यक्ति के मद्दे किसी भी प्रकार की शराब विनिर्मित करता है, उसका विक्रय करता है या उसे कब्जे में रखता है, ऐसी वस्तु के विधिविरुद्ध विनिर्माण, विक्रय या कब्जे के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी दण्ड के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी।

49. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड।— जो कोई इस अधिनियम की धारा 39 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि किए जाने पर, तत्पश्चात् उक्त धारा के अधीन किसी ऐसे ही अपराध के लिए दोषसिद्धि होता है तो वह, ऐसे प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए पूर्व दोषसिद्धि पर अधिनिर्णीत कारावास और जुर्माने के दोहरे दण्डादेश से दण्डनीय होगा :

परन्तु वर्धित दण्ड पांच वर्ष के कारावास और तीन लाख रुपए के जुर्माने से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि वर्धित दण्ड, इस अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के प्रथम या द्वितीय परन्तुक में विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए उपबन्धित न्यूनतम दण्डादेश को किसी भी दशा में प्रभावित नहीं करेगा।

50. दण्डनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करना या दुष्प्रेरण करना।—जो कोई इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या दुष्प्रेरण करेगा तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड का दायी होगा।

51. गिरफ्तारियों, तलाशियों आदि से सम्बद्ध प्रक्रिया।—इस अधिनियम में, अन्यथा स्पष्टतः उपबंधित के सिवाय, गिरफ्तारियों, अभिरक्षा में निरोधों, तलाशियों, समनों, गिरफ्तारी वारंटों, तलाशी वारंटों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को पेश करने और अपराधों के अन्वेषण आदि से सम्बद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन इनकी बाबत की गई समस्त कार्रवाई पर लागू होंगे :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना धारा 9 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी द्वारा अन्वेषित किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि जब कभी कोई आबकारी अधिकारी कोई गिरफ्तारी, अभिग्रहण करता है या तलाशी लेता है तो वह उसके चौबीस घण्टों के भीतर गिरफ्तारी, अभिग्रहण या तलाशी की समस्त विशिष्टियों की पूर्ण रिपोर्ट अपने अव्यवहित पदीय (शासकीय) वरिष्ठ को देगा, और जब तक इस धारा के अधीन जमानत स्वीकृत नहीं की जाती, तब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या अभिग्रहण की गई वस्तु को, सुविधाजनक प्रेषण सहित, विचारण या न्यायनिर्णयन के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

52. कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए अन्वेषक अधिकारी द्वारा रिपोर्ट।—(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, यदि इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन सशक्त किसी आबकारी अधिकारी द्वारा किसी अन्वेषण पर उसे यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के अभियोजन को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है तो, जब तक अन्वेषण अधिकारी धारा 65 के अधीन अपनी रिपोर्ट कलक्टर के आदेश हेतु प्रस्तुत नहीं करता है तब तक मामले में जांच करने या विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले और पुलिस रिपोर्ट पर अपराधों

का संज्ञान लेने के लिए सशक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 190 के प्रयोजनों के लिए पुलिस रिपोर्ट समझी जाएगी।

(2) यदि अन्वेषण की समाप्ति पर आबकारी अधिकारी का समाधान हो जाता है कि अभियुक्त के अभियोजन को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो वह सम्बद्ध कलक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

53. अपराधों का जमानतीय आदि होना।—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय सभी अपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अर्थ के अन्तर्गत जमानतीय होंगे :

परन्तु इस अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक और द्वितीय परन्तुक तथा धारा 40 और 42 के अधीन दण्डनीय अपराध, अजमानतीय होंगे।

54. वारण्ट के बिना गिरफ्तारी की दशा में हाजिरी के लिए प्रतिभूति।—(1) राज्य सरकार, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकारी धारा 9 के अधीन सशक्त नहीं है, किसी आबकारी अधिकारी को जमानत प्रदान करने हेतु सशक्त कर सकेगी।

(2) जब कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन, वारण्ट से अन्यथा, किसी व्यक्ति या अधिकारी, जो जमानत देने को सशक्त नहीं है, द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे—

- (क) जमानत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सशक्त नजदीक के आबकारी अधिकारी, या
- (ख) निकटतम पुलिस स्टेशन, जो भी नजदीक हो, के भारसाधक अधिकारी, के समक्ष पेश किया जाएगा।

(3) जब कभी इस अधिनियम के अधीन, वारण्ट से अन्यथा गिरफ्तार कोई व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है, और उपधारा (2) के अनुसार जमानत देने के लिए सशक्त किसी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया है या के समक्ष पेश किया गया है तो उसे जमानत पर, या उसे मुक्त करने वाले अधिकारी के विवेकानुसार उस के स्वबंधपत्र पर मुक्त किया जाएगा।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 33 के उपबन्ध, जहां तक हो सके प्रत्येक मामले में, जिसमें इस धारा के अधीन जमानत स्वीकृत की गई है या बंधपत्र लिया गया है, लागू होंगे।

55. अपराधों का संज्ञान।—(1) कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट,—

- (क) धारा 39, 40 या 41 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, आबकारी अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट पर के सिवाय, नहीं करेगा; या
- (ख) धारा 43, 44, 45, 46 या 47 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, कलक्टर या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी आबकारी अधिकारी की शिकायत पर के सिवाय नहीं करेगा।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा अन्यत्र उपबन्धित के सिवाय कोई भी न्यायालय उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के अवसान के पश्चात् उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) अपराधों के लिए परिसीमा काल निम्न प्रकार से होगा—

- (क) यदि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय है, छह मास;
- (ख) यदि अपराध कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं है, दण्डनीय है, एक वर्ष; और
- (ग) यदि अपराध कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक है, दण्डनीय है, तीन वर्ष।

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए, उन अपराधों, जिन्हें साथ जोड़ा जा सकेगा, की बाबत परिसीमा काल अपराध के सन्दर्भ में जो, यथास्थिति, अधिक कठोर दण्ड या अधिकतम कठोर दण्ड से दण्डनीय है, अवधारित किया जाएगा।

56. कतिपय मामलों में अपराध के किए जाने की उपधारणा।—(1) जब किसी व्यक्ति के कब्जे में—

(क) कोई भट्ठी (स्टिल), बर्टन, उपकरण या साधित्र जैसा भी हो या उसका कोई भाग या उसके भाग जिसे/जिन्हें किसी भी प्रकार की शराब के विनिर्माण के लिए साधारणतया प्रयुक्त किया जाता है, पाया जाता है/पाए जाते हैं, या

(ख) कोई सामग्री, जो शराब के विनिर्माण की किसी प्रक्रिया से गुजरी है या जिससे शराब विनिर्मित की गई है, पाई जाती है,

तो वहां, जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, यह उपधारणा की जाएगी कि उस पर कब्जा इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में था।

(2) और साक्ष्य के बिना जब तक प्रतिकूल साबित न हो जाए, तब तक यह उपधारणा की जाएगी कि अभियुक्त व्यक्ति ने विक्रीत स्पिरिट, जिसे मानव उपभोग हेतु उचित बनाया गया है या उचित बनाने का प्रयास किया गया है की बाबत धारा 40 के अधीन अपराध किया है।

57. कर्मचारी या अभिकर्ता द्वारा किए गए अपराध के लिए नियोक्ता का दायित्व।—इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र या पास धारक के साथ—साथ वास्तविक अपराधी धारा 39, 40, 43 या 44 के अधीन उसके नियोजन में या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दण्डनीय अपराध के लिए तब तक, उसी प्रकार दायी होगा मानो उसने अपराध स्वयं किया हो, जब तक कि वह यह सिद्ध न करे कि ऐसे अपराध को किए जाने से रोकने के लिए उसके द्वारा समस्त, सम्यक् और युक्तियुक्त, पूर्वावधानियां बरतीं गई थीं।

58. कतिपय परिस्थितियों के अधीन कथनों की सुसंगति।—अपराधों के अन्वेषण के लिए धारा 9 के अधीन सशक्ति किसी अधिकारी के समक्ष, ऐसे अधिकारी द्वारा किसी जांच या कार्यवाहियों के दौरान, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया और हस्ताक्षरित कथन, अधिनियम के अधीन किसी अपराध हेतु किसी अभियोजन में, तथ्यों की सत्यता, जिसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट हो, सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा—

(क) जब ऐसा व्यक्ति जिसने कथन किया है कि मृत्यु हो चुकी है, या उसे खोजा नहीं जा सकता, या साक्ष्य देने में सक्षम नहीं है, या विपक्षी पक्षकार द्वारा अगम्य रखा गया है, या जिसकी उपस्थिति ऐसे मामले जिसे न्यायालय अयुक्तियुक्त समझे, की परिस्थितियों के अधीन, विलम्ब या व्यय के बिना अभिप्राप्त नहीं की जा सकती; या

(ख) जब ऐसे व्यक्ति, जिसने कथन किया है, कि मामले में न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में परीक्षा की गई हो और न्यायालय की मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि न्याय के हित में कथन को साक्ष्य में स्वीकृत किया जाना चाहिए।

अध्याय—7

अधिहरण

59. वस्तु का अधिहरण (जब्ती) जिसकी बाबत अपराध किया गया है।—(1) जब इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया हो तो,—

(क) प्रत्येक शराब या एक्साईज बोतल, जिसकी बाबत ऐसा अपराध किया गया है, ऐसी बोतल की अन्तर्वस्तु सहित, यदि कोई हो;

- (ख) प्रत्येक भट्ठी (स्टिल), बर्तन, उपकरण या साधित्र और समस्त सामग्रियों जिनकी बाबत या जिनके द्वारा ऐसा अपराध किया गया है;
- (ग) विधिपूर्वक आयातित, परिवाहित या विनिर्मित प्रत्येक शराब या एक्साईज बोतल जो कब्जे में रही हो या खण्ड (क) के अधीन अधिहरण (जब्ती) के लिए दायी किसी भी प्रकार की शराब के साथ या के अतिरिक्त विक्रीत की गई है;
- (घ) प्रत्येक पात्र, पैकेज, कन्टेनर और आच्छादन (कवरिंग) जिसमें यथापूर्वोक्त किसी भी प्रकार की शराब, एक्साईज बोतल, सामग्री, भट्ठी (स्टिल), बर्तन, उपकरण या साधित्र ऐसे पात्र या पैकेज, कन्टेनर या आच्छादन (कवरिंग) के अन्य पदार्थों, यदि कोई हों, के साथ पाया गया है या पाए गए हों; और
- (ङ) प्रत्येक गाड़ी, जलयान, बेड़ा या अन्य वाहन, जो यथापूर्वोक्त ऐसे पात्र, पैकेज, कन्टेनर, आच्छादन (कवरिंग) या सामग्री ले जाने में उपयोग किए जाते हैं या जाते हों; अधिहरण (जब्ती) के लिए दायी होंगे।

(2) जब इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के विचारण में न्यायिक मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) में विनिर्दिष्ट कोई वस्तु अधिहरण (जब्ती) के लिए दायी है तो वह धारा 60 में यथा विनिर्दिष्ट शराब, यान या वाहन के सिवाय उसके अधिहरण (जब्ती) के लिए आदेश कर सकेगा।

(3) जब यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, किन्तु अपराधी की जानकारी नहीं है या पाया नहीं जा सकता तथा जब इस अधिनियम के अधीन अधिहरण (जब्ती) के लिए दायी कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और उसका सन्तोषजनक रूप में कोई लेखा-जोखा नहीं है, तो मामले की जांच और निर्धारण सम्बद्ध कलक्टर द्वारा किया जाएगा, जो उसके अधिहरण (जब्ती) के आदेश दे सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश, प्रश्नगत वस्तु (चीज) के अभिग्रहण की तारीख से एक मास के अवसान तक या उस पर किसी भी प्रकार के अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति, यदि कोई है, को सुने बिना तथा साक्ष्य, यदि कोई है, जो वह अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करता है, पर विचार किए बिना नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि प्रश्नगत वस्तु (चीज) शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या यदि सम्बद्ध कलक्टर की यह राय है कि प्रश्नगत वस्तु (चीज) का विक्रय उसके स्वामी के लिए लाभप्रद होगा, तो वह, किसी भी समय, उसके विक्रय का निर्देश दे सकेगा; और इस धारा और धारा 61 के उपबन्ध, जहां तक हो सके, ऐसे विक्रय के शुद्ध आगम को लागू होंगे।

60. अधिहरण (जब्ती) के लिए दायी यान, वाहन और शराब का निरीक्षण तथा अभिग्रहण.—(1) कोई भी आबकारी अधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम की धारा 39 के अधीन अपराध के लिए जाने में कोई यान या वाहन प्रयुक्त किया गया है या किया जा रहा है तो वह ऐसे यान या वाहन के चालक या उसके भार-साधक अन्य व्यक्ति से इसे रोकने की अपेक्षा करेगा और उसे तब तक के लिए रोके रखेगा जब तक यान में रखे पदार्थों के परीक्षण और यान से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों के निरीक्षण, जो ऐसे यान या वाहन के ऐसे चालक या उसके भार साधक अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो।

(2) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी शराब की बाबत धारा 39 के अधीन कोई अपराध किया गया है, तो ऐसे अपराध के करने में प्रयुक्त किए गए यान या वाहन सहित ऐसी शराब का अभिग्रहण किसी भी आबकारी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन किसी भी यान, शराब या वाहन का अभिग्रहण करने वाला प्रत्येक आबकारी अधिकारी, ऐसे यान, शराब या वाहन पर यह उपदर्शित करते हुए एक चिन्ह अंकित करेगा कि इसे अभिगृहीत किया गया है और उसके अभिग्रहण की रिपोर्ट यथाशक्य शीघ्र जिला के प्रभारी आबकारी अधिकारी को करेगा।

(4) शराब या यान या वाहन का अभिग्रहण करने वाला आबकारी अधिकारी, शराब, यान या वाहन की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए, जब तक कि जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा धारा 61 के अधीन आदेश पारित नहीं कर दिए जाते, समुचित कदम उठाएगा।

61. कतिपय मामलों में आबकारी अधिकारी द्वारा यान या वाहन का अधिहरण (जब्ती)।—(1) जहां इस अधिनियम की धारा 39 के अधीन शराब की बाबत अपराध किए जाने का विश्वास है तो जिला का प्रभारी आबकारी अधिकारी, अपना समाधान हो जाने पर कि धारा 39 के अधीन किए गए अपराध में यान या वाहन प्रयुक्त हुआ है, इस प्रकार अभिगृहीत शराब सहित यान या वाहन के अधिहरण (जब्ती) का आदेश दे सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अधिहरण का आदेश पारित करने के पश्चात् जिला के प्रभारी आबकारी अधिकारी की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, तो वह अधिहरण (जब्ती) किए यान या वाहन या शराब को लोक नीलाम द्वारा बेचने के आदेश दे सकेगा और उसके आगम ऐसी किसी नीलाम के खर्चों या उससे सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक खर्चों की कटौती के पश्चात् जहां उपधारा (1) के अधीन किया गया अधिहरण (जब्ती) का आदेश धारा 67 या 68 के अधीन आदेश द्वारा अपास्त या बातिल कर दिया जाता है, उसके स्वामी को या उस व्यक्ति को, जिससे इसे अधिगृहीत किया गया था, संदत्त किए जाएंगे।

62. धारा 61 के अधीन अधिहरण (जब्ती) से पूर्व कारण बताओं नोटिस जारी करना।—(1) धारा 61 के अधीन किसी भी यान या वाहन के अधिहरण का कोई भी आदेश, उस व्यक्ति को, जिससे इसे अधिगृहीत किया गया है, या उसके रजिस्ट्रीकृत स्वामी को, लिखित में नोटिस दिए बिना और उनके आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार किए बिना नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम की धारा 61 के अधीन किसी यान या वाहन के अधिहरण (जब्ती) का कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे यान या वाहन का स्वामी जिला के प्रभारी आबकारी अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि इसे शराब का वहन करने के लिए स्वयं स्वामी, उसके अभिकर्ता, यदि कोई है, के ज्ञान या मोनानुकूलता के बिना प्रयुक्त किया गया था और ऐसे यान या वाहन के प्रभारी व्यक्ति और प्रत्येक ने उसके ऐसे उपयोग के विरुद्ध समस्त युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वावधानियां बरतीं थी :

परन्तु अधिनियम की धारा 61 के अधीन किया गया अधिहरण (जब्ती) उस अपराध के लिए अभियुक्त के दण्ड को प्रभावित नहीं करेगा जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन दायी है।

63. अधिहरण (जब्ती) के बदले शास्ति।—धारा 61 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिला का प्रभारी आबकारी अधिकारी यान के अधिहरण (जब्ती) के बदले, शास्ति के रूप में कोई रकम स्वीकार कर सकेगा जो यान या वाहन के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी।

64. विचारण के लम्बित रहने के दौरान अभिगृहीत शराब का निपटान।—(1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत किसी प्रकार की शराब, किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अपराध के विचारण की विषय-वस्तु हो, तो वह, इसके अभिग्रहण के पश्चात्, इसकी चोरी, प्रतिस्थापन की भेद्यता, उचित भण्डारण स्थान की कमी या कोई अन्य सुसंगत बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्, ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में निपटान करने का आदेश दे सकेगा जैसी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) जहां किसी प्रकार की शराब का अभिग्रहण किया गया है और इसे निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को अग्रेषित किया गया है, वहां उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी, इसके विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग के तरीके (ढंग), चिन्ह या संख्या या ऐसी शराब या पैकिंग जिसमें इसे पैक किया गया है, की

पहचान की अन्य विशिष्टियां, उद्गम के देश या राज्य और अन्य विशिष्टियां जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में शराब की पहचान हेतु सुसंगत समझे, से सम्बद्ध ऐसे ब्यौरों से अन्तर्विष्ट, ऐसी शराब की सूची तैयार करेगा, तथा—

- (क) इस प्रकार तैयार की गई सूची की शुद्धता को प्रमाणित करते हुए; या
- (ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, इस प्रकार की शराब का फोटोग्राफ लेते हुए और ऐसे फोटोग्राफ को सत्य प्रमाणित करते हुए; या
- (ग) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, ऐसे शराब के नमूने लेने की अनुज्ञा देते हुए और ऐसे लिए गए नमूनों की सूची की शुद्धता प्रमाणित करने, के प्रयोजन हेतु, उसको आवेदन करेगा।

(3) जहां उप-नियम (2) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट यथाशक्यशीघ्र आवेदन अनुज्ञात करेगा।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1874 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय, तालिका (सूची), शराब के फोटोग्राफ और उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित नमूनों की किसी सूची को, ऐसे अपराध की बाबत प्रथम साक्ष्य के रूप में मानेगा।

अध्याय-8

शमन

65. कलक्टर द्वारा अपराधों का शमन।—(1) कलक्टर, किसी भी व्यक्ति से आवेदन पर, जिस पर इस अधिनियम की धारा 50 के अधीन इन में से किन्हीं अपराधों को करने या दुष्प्रेरित करने का प्रयत्न करने संहित धारा 43, 44, 45, 46 या 47 के अधीन किसी दण्डनीय अपराध के किए जाने का युक्तियुक्त रूप से सन्देह है, शमन—स्वरूप, न्यूनतम पांच हजार रूपए के अध्यधीन पच्चीस हजार रूपए से अनधिक रकम स्वीकार कर सकेगा, और ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए ऐसी रकम के कलक्टर को संदाय पर, अभियुक्त व्यक्ति को, यदि अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा तथा ऐसे अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई आगामी कार्यवाहियां नहीं की जाएगी।

(2) यदि कोई पट्टा (लीज), अनुज्ञापत्र या पास रद्दकरण या निलम्बन के लिए दायी हो गया है या इस अधिनियम की धारा 29 के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन प्राधिकारी जिसको, इसे रद्द या निलम्बित करने की शक्ति है ऐसे पट्टे, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापत्र या पास के धारक द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसी शास्ति, जैसी वह नियत करे, के संदाय के पश्चात् ऐसे, रद्दकरण या निलम्बन का, यथास्थिति, प्रतिसंहरण करेगा या त्यजन कर सकेगा।

(3) जहां किसी भी प्रकार की शराब को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अभिगृहीत किया गया है तो कलक्टर, धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व, किसी भी समय यदि वह इसे समीचीन समझे परन्तु धारा 64 के उपबन्धों के अध्यधीन, इसे इसके मूल्य के संदाय की प्राप्ति पर निर्मुक्त कर सकेगा, यदि ऐसी शराब मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त है :

परन्तु यह कि ऐसी निर्मुक्त अभियुक्त के उस अपराध, जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन दायी है, के दण्ड को प्रभावित नहीं करेगा।

66. कतिपय अन्य अपराधों का शमन।—(1) धारा 39 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या उसके पश्चात् 100 लीटर तक लाहन या 45 बल्क लीटर तक शराब के

आयात, निर्यात, परिवहन या कब्जे से सम्बन्धित किए गए किसी भी अपराध का शमन, अभियुक्त द्वारा किए गए आवेदन पर—

- (i) अभियोजन संस्थित करने से पूर्व आबकारी अधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा (जो जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी की पंक्ति के नीचे का न हो), और
- (ii) अभियोजन संस्थित करने के पश्चात् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा जो ऐसी रकम जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगी किन्तु पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, स्वीकार करते हुए किया जा सकेगा।

(2) जहां किसी अपराध का उपधारा (1) के अधीन शमन किया जा चुका है, तो अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई और कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध को तीन से अधिक बार करता है, तो उसका शमन नहीं किया जाएगा।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन किसी मामले का शमन किया जा चुका हो, तो, यथास्थिति, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का आबकारी अधिकारी (जो जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो) ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह मामले से सम्बन्धित सम्पत्ति के निपटारे के लिए उचित समझे।

अध्याय—9

अपील और पुनरीक्षण

67. अपील।—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी आबकारी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के संसूचित किए जाने के तीस दिन के भीतर, कलक्टर को विहित रीति में अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कलक्टर द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित, कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के संसूचित किए जाने के तीस दिन के भीतर, वित्तायुक्त को अपील कर सकेगा।

68. पुनरीक्षण।—(1) वित्तायुक्त, स्वप्रेरणा से किसी भी समय, किन्हीं भी कार्यवाहियों, जो किसी कलक्टर या आबकारी अधिकारी के समक्ष लम्बित हैं या उसके द्वारा निपटा दी गई हैं, के अभिलेख, ऐसी कार्यवाहियों या उनमें किए गए आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, मंगवा सकेगा और उनके सम्बन्ध में वह ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

(2) इस धारा के अधीन कोई भी ऐसा आदेश, जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

69. कतिपय कार्यवाहियों का वर्जन।—इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियां या पारित आदेश, किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होंगे।

अध्याय—10

देयों की वसूली

70. अनुज्ञाप्ति फीस आदि वसूल करने की शक्ति।—धारा 29 के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) या (ड) के अधीन अनुज्ञाप्ति के रद्दकरण या निलम्बन की दशा में, शेष अवधि जिसके लिए कोई भी अनुज्ञाप्ति चालू रहती, यदि ऐसा रद्दकरण या निलम्बन न होता, के लिए किसी अन्य फीस सहित देय फीस, ऐसे अनुज्ञाप्तिधारी से आबकारी राजस्व के रूप में वसूल की जाएगी।

71. अनुदान अपने प्रबंधाधीन लेने या पुनः विक्रय करने तथा कमी वसूल करने की कलक्टर की शक्ति।—यदि इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई किसी अनुज्ञाप्ति का धारक या कोई व्यक्ति, जिसे धारा 27 के अधीन पट्टा प्रदान किया गया है, ऐसी अनुज्ञाप्ति या पट्टे द्वारा उस पर अधिरोपित किसी शर्त के अनुपालन में व्यतिक्रम करता है, तो कलक्टर उस व्यक्ति के जोखिम पर, जिसने इस प्रकार व्यतिक्रम किया है, अनुदान अपने प्रबंधाधीन ले सकेगा या इसका पुनः विक्रय कर सकेगा तथा कीमत में किसी कमी या ऐसी पुनः विक्री के समस्त खर्चों को इस अधिनियम की धारा 72 में विनिर्दिष्ट रीति में वसूल कर सकेगा।

72. आबकारी राजस्व का प्रथम प्रभार होना और भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होना।—(1) तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देय समस्त अन्य रकमों सहित, आबकारी राजस्व की कोई रकम, डिस्ट्रिक्ट ब्रुअरि, वाइनरि, भाण्डागार, दुकान, परिसरों, फिटिंगज, साधित्रों और शराब के समस्त भण्डार (स्टाक) या उसके उत्पादन के लिए सामग्री सहित, ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति पर, प्रथम प्रभार होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देय समस्त अन्य रकमों सहित समस्त आबकारी राजस्व, जो देय तारीख के पश्चात् असंदर्भ रहते हैं, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) के उपबन्धों के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होंगे।

अध्याय-11

साधारण उपबन्ध

73. माप, बाट और परीक्षण उपकरण।—प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञाप्ति के अधीन किसी भी प्रकार की शराब का विनिर्माण या विक्रय करता है—

- (क) इस प्रकार के माप, बाट और उपकरण रखने, जैसे वित्तायुक्त विनिर्दिष्ट करे, और उन्हें अच्छी स्थिति में रखने के लिए आबद्ध होगा; और
- (ख) इस निमित्त कलक्टर द्वारा सम्यक् रूप से सशक्ति किसी आबकारी अधिकारी की अध्येक्षा पर, किसी भी समय, उसके कब्जे में किसी भी प्रकार की शराब का माप, तोल या परीक्षण, ऐसी रीति में करने के लिए आबद्ध होगा, जैसी उक्त आबकारी अधिकारी अपेक्षा करे।

74. छूट देने की शक्ति।—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सम्पूर्णतः या भागतः और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी वह उचित समझे, इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं उपबन्धों से किसी भी प्रकार की शराब को छूट प्रदान कर सकती है।

75. शक्तियों का प्रत्यायोजन।—(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, धारा 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 36, 72 और 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के सिवाय इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों को वित्तायुक्त को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, वित्तायुक्त या कलक्टर द्वारा, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम के अधीन इस अधिनियम द्वारा उन्हें प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन अनुज्ञात कर सकेगी।

76. विज्ञापन विनियमित करने की शक्ति।—शराब के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष या प्रच्छन (अप्रत्यक्ष) विज्ञापन नहीं दिया जाएगा।

77. पड़ताल चौकियों (चैक पोस्ट्स) या नाकों (बैरियरों) की स्थापना।—वित्तायुक्त अधिसूचना द्वारा, किसी भी प्रकार की शराब के किसी भी उपाय द्वारा अवैध परिवहन को रोकने और जांच करने के लिए तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, ऐसे स्थानों पर, जैसे यह ठीक समझे, पड़ताल चौकियों (चैक पोस्ट्स) या नाकों (बैरियर) स्थापित कर सकेगी।

78. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।—इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आदिष्ट या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने वाले या किन्हीं कर्तव्यों का अनुपालन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में नहीं होगी।

79. राज्य सरकर की नियम बनाने की शक्ति।—(1) धारा 80 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी।

- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार,—
 - (क) आबकारी अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों के लिए उपबन्ध करने;
 - (ख) वित्तायुक्त या कलक्टर द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुज्ञा (अनुमति) देने;
 - (ग) अपीलें प्रस्तुत करने के लिए समय और रीति तथा अपीलों के संचालन और निपटारे हेतु प्रक्रिया के लिए उपबन्ध करने;
 - (घ) किसी भी प्रकार की शराब या शीरे या आबकारी बोतल (एक्साइज बोटल) का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, धारण (कब्जा), आपूर्ति या भण्डारण तथा किसी भी प्रकार की शराब के थोक या खुदरा विक्रय को विनियमित करने;
 - (ङ) किसी उत्पाद शुल्क या प्रतिशुल्क के संदाय का समय, स्थान और रीति का विनियमन करने और इसके देय संदाय के लिए प्रतिभूति लेने;
 - (च) आबकारी अधिकारी और भेदियों (इनफारमर्ज) को पुरस्कार प्रदान करने हेतु उपबन्ध करने;
 - (छ) आबकारी अधिकारियों की साक्षियों को समन करने की शक्तियों को विनियमित करने;
 - (ज) शराब का अवैध व्यापार करने वालों (बूटलेगरज) की गतिविधियों पर नियन्त्रण करने, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी भी प्रकार की शराब का आसवन, विनिर्माण, भण्डारण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय या वितरण करते हैं;
 - (झ) अवधियां तथा स्थान जिनके लिए, और व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग जिन्हें किसी शराब के थोक या खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र (परमिट) तथा पास दिए गए हैं, को विनियमित करने और ऐसी अनुज्ञाप्तियों की संख्या, जो स्थानीय क्षेत्र में दी गई हो, को विनियमित करने;
 - (ज) परिसरों में उपभोग हेतु शराब के खुदरा विक्रय करने के लिए किसी अनुज्ञाप्ति को देने से पूर्व अपनाई जाने वाली क्रियाविधि (प्रक्रिया) तथा सुनिश्चित किए जाने वाले विषयों के लिए उपबन्ध करने;
 - (ट) किसी भी प्रकार के विज्ञापन या अन्य सामग्री का मुद्रण, प्रकाशन या अन्यथा प्रदर्शन या वितरण प्रतिषिद्ध करना जो किसी भी प्रकार की शराब के प्रयोग का या उसके पेश किए जाने का संस्तवन करे या उत्प्रेरित करे जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग तथा सामान्यतः जनसाधारण (पब्लिक), इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों या आदेश का या तद्धीन अभिप्राप्त किसी अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र (परमिट) या पास की शर्तों का भंग करने या अपवंचन करने के लिए प्रोत्साहित हों या उद्धृत हों;

- (ठ) राज्य के भीतर किसी समाचार पत्र, पुस्तक, इश्तहार (लीफलिट), पुस्तिका (बुकलेट) या अन्य प्रकाशन जो राज्य के बाहर से मुद्रित (छपवाए) तथा प्रकाशित हों, जिसमें कोई विज्ञापन या खण्ड (ट) में वर्णित स्वरूप का विषय अन्तर्विष्ट हो, का प्रचार, वितरण या विक्रय प्रतिषेद्ध करने;
- (ड) किसी समाचार पत्र, पुस्तक, इश्तहार (लीफलिट), पुस्तिका (बुकलेट) या अन्य प्रकाशन जिसमें कोई विज्ञापन या खण्ड (ट) में वर्णित स्वरूप का विषय मुद्रित या प्रकाशित हो, को राज्य सरकार में समर्पित किया जाना घोषित करने; और
- (ढ) प्रतिषेद्ध की नीति को साधारणतः कार्यान्वित करने, के लिए नियम बना सकेगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो कुल मिलाकर दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक पश्चात् के सत्र के अवसान से पूर्व, विधान सभा उस नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो जाए या विधान सभा विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, यह नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसे उपान्तरण या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

80. वित्तायुक्त की नियम बनाने की शक्तियां।—वित्तायुक्त, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगा—

- (क) किसी भी प्रकार के शराब के विनिर्माण, आपूर्ति, भण्डारण या विक्रय जिसमें ऐसी वस्तु का विनिर्माण, आपूर्ति, भण्डारण या विक्रय हेतु किसी स्थान का स्वरूप, परिनिर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रबन्ध तथा नियन्त्रण और इसमें बनाए रखे जाने वाले साज—सामान, औजार, संयन्त्र तथा रजिस्टर भी है, को विनियमित करने;
- (ख) विक्रय के प्रयोजनों हेतु शराब को बोतल में भरने को विनियमित करने;
- (ग) भाण्डागार में किसी शराब का रखना विनियमित करने तथा किसी भाण्डागार या डिस्टिलरि या ब्रुअरि, वार्विनरि से किसी शराब के हटाए जाने;
- (घ) फीस का पैमाना (स्केल) या किसी अनुज्ञापत्र (परमिट) या पास की बाबत या किसी शराब के भण्डारकरण की बाबत संदेय फीस नियत करने की रीति का उपबन्ध करने;
- (ड) किसी फीस के संदाय के समय, स्थान तथा रीति को विनियमित करने;
- (च) प्राधिकारी जिसके द्वारा, निर्बन्धन जिनके अधीन तथा शर्तें, जिन पर कोई अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापत्र या पास दिया जा सकेगा, का उपबन्ध करने, जिसमें निम्नलिखित भी हो सकेगा—
 - (i) किसी पदार्थ, जो हानिकर (अनिष्टकर) या आपत्तिजनक समझा जाए, का किसी शराब में मिश्रण निषेध करना;
 - (ii) किसी अनुज्ञापत्र विनिर्माता या अनुज्ञापत्र विक्रेता द्वारा शराब के प्राबल्य (स्ट्रेन्थ) को उच्चतर से निम्नतर करने को विनियमित या निषेध करना;
 - (iii) शराब के प्राबल्य (स्ट्रेन्थ) या कीमत को नियत करना जिससे नीचे या ऊपर उसका विक्रय, आपूर्ति नहीं की जा सकेगी या कब्जे में नहीं रखा जा सकेगा;
 - (iv) नकदी के सिवाय किसी शराब के विक्रय को निषेध करना;
 - (v) दिन तथा घण्टे जिनके दौरान किसी अनुज्ञापत्र परिसर को खुला या खुला नहीं रखा जा सकेगा, नियत करना और ऐसे परिसरों को विशेष अवसरों पर बन्द करना;

- (vi) परिसर, जिन में किसी शराब का विक्रय किया जा सकेगा, के स्वरूप का विनिर्देश, और ऐसे परिसरों पर अभिर्दर्शित किए जाने वाले नोटिस;
- (vii) अनुज्ञाप्ति धारकों द्वारा बनाए जाने वाले लेखों तथा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के प्ररूप;
- (viii) अनुज्ञाप्तियों के अन्तरण का निषेध या विनियमन;
- (ix) प्रक्रिया घोषित करना जिसके द्वारा स्पिरिट को विकृत किया जाएगा;
- (x) अभिकरण के माध्यम से या अपने अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन स्पिरिट का विकृत किया जाना; और
- (xi) सुनिश्चित करना कि क्या ऐसी स्पिरिट को विकृत किया गया है;

(छ) मानवीय उपभोग या उपयोग के लिए अनुपयुक्त समझे जाने वाली किसी शराब को नष्ट करने या अन्य व्यवस्था हेतु उपबन्ध करना;

(ज) अधिहृत वस्तुओं के निपटान को विनियमित करना; और

(झ) पट्टों, अनुज्ञाप्तियों, अनुज्ञापत्रों (परमिटों) या पास धारकों द्वारा उनकी शर्तों के अनुपालन के लिए निश्चित की जाने वाली प्रतिभूति की रकम हेतु उपबन्ध करना।

81. निरसन और व्यावृत्तियां—(1) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 88 के फलस्वरूप इसकी धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित किए गए क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त और हिमाचल प्रदेश (विधियों का लागू होना) आदेश, 1948 और बिलासपुर (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949 के फलस्वरूप प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों को यथा लागू पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 (1914 का पंजाब एक्ट संख्यांक 1), (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 1, धारा 3 के खण्डों (3), (5), (6), (6-बी), (9), (10), (11), (12), (12-ए), (14), (16), (19) और (21) और धारा 16, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33-ए, 58, 59 और 60 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के सिवाय उक्त अधिनियम के समर्त अन्य उपबन्ध एतद्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु उक्त अधिनियम के इन उपबन्धों का निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा,—

- (क) उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या
- (ख) उक्त अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड; या
- (ग) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार; और

ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियां या उपचार, संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो उक्त अधिनियम के उपबन्ध निरसित नहीं किए गए थे :

परन्तु यह और कि उक्त अधिनियम के निरसित उपबन्धों के अधीन की गई किसी नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना, आदेश या निदेश और बनाए गए नियम, प्रदान की गई अनुज्ञाप्ति, उदगृहीत शुल्क, अधिरोपित अनुज्ञाप्ति फीस या अन्य फीस सहित की गई कोई बात या कार्रवाई, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, इस अधिनियम के तत्त्वानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी

जाएगी और ऐसी नियुक्ति, प्रत्यायोजन, अधिसूचना, आदेश, निदेश, नियम, अनुज्ञाप्ति, शुल्क, अनुज्ञाप्ति फीस और अन्य फीस तदनुसार तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक अधिक्रान्त नहीं कर दी जाती।

(2) उक्त अधिनियम के अनिरसित उपबन्धों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए,—
(i) परिभाषाओं,

(ii) अधिकारियों के स्थापन, नियन्त्रण और उनकी शक्तियों और कर्तव्यों,

(iii) अपीलों और पुनरीक्षण,

(iv) शक्तियों के प्रत्यायोजन, और

(v) पड़ताल चौकियों (चैक पोस्ट्स) या नाकों (बैरियरों) की स्थापना,

से सम्बन्धित इस अधिनियम के सुसंगत उपबन्ध उक्त अधिनियम के अनिरसित उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में मादक शराब (इनटाकसिकेटिंग लिकर) तथा ऐल्कोहलिक शराब पर आबकारी शुल्क और प्रतिशुल्क का उद्ग्रहण (क) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन, हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में उक्त अधिनियम की धारा 88 के फलस्वरूप यथा प्रवृत्त और (ख) हिमाचल प्रदेश (विधियों का लागू होना) आदेश, 1948 और बिलासपुर (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949 के फलस्वरूप प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा लागू पंजाब एक्साइज ऐक्ट, 1914 (1914 का पंजाब ऐक्ट संख्यांक-1) के दो संस्करणों (वर्षनज) के अध्यधीन है।

परिणामस्वरूप विद्यमान कानूनी द्वित्व को हटाना तथा मादक शराब के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जे, परिवहन, आयात, निर्यात और क्रय और विक्रय तथा मानवीय उपभोग या उपयोग के लिए ऐल्कोहलिक शराब पर आबकारी शुल्क और प्रतिशुल्क के उद्ग्रहण से सम्बन्धित प्रचलित विधि के उपबन्धों को, एकल एकीकृत कानून का उपबन्ध करते हुए, समेकित और संशोधित करना समुचित समझा गया है। शराब के बढ़ते हुए अवैध दुर्व्यापार को रोकने के लिए शास्त्रियों, शराब और अपराधों को करने में प्रयुक्त वाहनों (प्रवहरणों) आदि के अधिहरण के सम्बन्ध में अधिक प्रभावशाली और कड़े उपबन्ध करना भी अनिवार्य समझा गया है। अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण तथा विचारण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शराब और अन्य वस्तुओं के अभिग्रहण, अधिहरण और निपटान (डिसपोजल) से सम्बन्धित क्रियाविधि को सरल और कारगर बनाना भी प्रस्तावित किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

धर्मशाला :

तारीख :....., 2009.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 36 किसी भी आबकारी शुल्क वस्तु (अर्थात् मानवीय उपभोग के लिए ऐल्कोहलिक शराब) पर आबकारी शुल्क और प्रतिशुल्क के उद्ग्रहण का उपबन्ध करता है, जिसे वर्तमानतः हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू पंजाब एक्साइज ऐक्ट, 1914, जिसके उपबन्ध उस विस्तार तक निरसित किए जा रहे हैं, के अधीन उद्गृहीत किया जा रहा है। तथापि, गैर आबकारी शुल्क वस्तुओं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 277 का संरक्षण प्राप्त है, पर विनिर्माण और निर्यात शुल्कों तथा आबकारी शुल्कों के रूप में उद्ग्रहण विधेयक के खण्ड 81 के अनुसार, पूर्वोक्त अधिनियम के अनिरसित उपबन्धों के अधीन, उद्गृहीत किए जाते रहेंगे। इससे राजकोष को कोई हानि नहीं होगी और राजकोष को 360 करोड़ रुपए का विद्यमान उत्पाद शुल्क राजस्व निरन्तर प्रोद्भूत होना प्रत्याशित है। विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान प्रशासनिक तन्त्र द्वारा प्रशासित किए जाएंगे और राजकोष से कोई भी अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 75 राज्य सरकार की अपनी शक्तियों को वित्तायुक्त को प्रत्यायोजित करने और वित्तायुक्त और कलकटर द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन अनुज्ञात करने के लिए सशक्त करता है। इसके अतिरिक्त विधेयक के खण्ड 79 और 80 अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए क्रमशः राज्य सरकार और वित्तायुक्त को नियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(आबकारी एवं कराधान विभाग नस्ति संख्या: ई.एक्स.एन-एफ(1)2/88-1)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश आबकारी विधेयक, 2009 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उक्त विधेयक पर विधान सभा द्वारा विचार करने की सिफारिश करती है।

Bill No. 27 of 2009

THE HIMACHAL PRADESH EXCISE BILL, 2009

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to consolidate, amend and update the law relating to production, manufacture, possession, import, export, transport, purchase and sale of intoxicating liquors and levy of duties of excise and countervailing duties on alcoholic liquors.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY AND DEFINITIONS

- 1. Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Excise Act, 2009.
- 2. Definitions.**—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, -
 - (a) “beer” means alcoholic beverage prepared from malt or grain with or without addition of sugar and hops and includes black beer, ale, stout, porter and such other substance as may be specified by the State Government;
 - (b) “to bottle” means transfer of liquor from a cask or other vessel to a bottle or other approved receptacle and includes rebottling ;
 - (c) “brewery” means premises where beer is manufactured and includes every place therein where beer is stored or wherefrom it is issued;
 - (d) “Collector” means any officer appointed by the State Government, under sub- section (2) of section 5 of this Act;
 - (e) “denatured” means effectually and permanently rendered unfit for human consumption;
 - (f) “distillery” means premises where spirit is manufactured and includes every place therein where it is stored or wherefrom it is issued;
 - (g) “excise duty” and “countervailing duty” mean any such excise duty or countervailing duty, as the case may be, as is mentioned in entry 51 of List-II of the Seventh Schedule to the Constitution;
 - (h) “Excise Officer” means any officer or person appointed, or invested with powers, under section 6 of this Act;
 - (i) “excise revenue” means revenue derived or derivable from any payment, duty, license fee, or other fee levied or payable, fine or penalty imposed or confiscation ordered under this Act, or the rules made thereunder, but does not include a fine imposed by a court of law;
 - (j) “export” means to take out of Himachal Pradesh otherwise than across a custom frontier as defined by the Central Government;
 - (k) “Financial Commissioner” means the Excise and Taxation Commissioner appointed under sub-section (1) of section 5;
 - (l) “import” (except in the phrase “import into India”) means to bring into Himachal Pradesh otherwise than across a customs frontier as defined by the Central Government;
 - (m) “license” means a license granted under this Act;
 - (n) “liquor” means intoxicating liquor and includes all liquid consisting of or containing alcohol, whether obtained by fermentation or by subsequent distillation, and also

includes any substance which the State Government may, by notification, declare to be liquor;

- (o) “manufacture” includes any process, whether natural or artificial by which any liquor is produced or prepared, and also re-distillation, and every process for the rectification, reduction, flavoring, blending or colouring or bottling of liquor;
- (p) “medicinal preparations” and “toilet preparations” shall have the same meaning as assigned to them under the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955; (16 of 1955)
- (q) “molasses” means heavy dark coloured viscous liquid produced, in the final stage of manufacture of Gur or Sugar including Khandsari Sugar, from sugar cane or Gur, when liquid as such or in any form or admixturer containing sugar which can be fermented;
- (r) “notification” means a notification issued under this Act or the rules made thereunder and published in the Official Gazette;
- (s) “pass” means a document which actually authorizes the removal or transportation of liquor;
- (t) “permit” means a no objection statement issued by the Collector of the district of destination concerned or an officer authorized in this behalf in the import and transport of liquor and includes a document authorizing possession of liquor exceeding the limit of retail-sale;
- (u) “place” includes a building, shop, tent, enclosure, booth, vehicle, vessel, boat and raft;
- (v) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act ;
- (w) “sale” includes any transfer otherwise than by way of gift ;
- (x) “State” means the State of Himachal Pradesh;
- (y) “State Government” means the Government of Himachal Pradesh;
- (z) “spirit” means any liquor containing alcohol obtained by distillation, whether denatured or not;
- (za) “transport” means to move from one place to another place within the State;
- (zb) “vehicle” means wheeled conveyance of any description, which is capable of being used for movement and includes aircraft, boat, vessel, raft, motor vehicle, a cart and any carriage by cattle;
- (zc) “warehouse” means a place where storage of liquor is permitted and includes a relevant part of manufactory; and
- (zd) “winery” means premises where wine is manufactured and includes every place therein where wine is stored or wherefrom it is issued.

3. Country liquor and foreign liquor.—The State Government may by notification declare what, for the purpose of this Act, shall be deemed to be country liquor and foreign liquor.

4. Power to limit application of notifications, license etc. issued.—Where under this Act, any notification is issued, any appointment made, any power conferred, or any license, permit or pass granted, it shall be lawful for the State Government to direct that—

- (a) it shall apply to the whole of the State or to any specified local area or areas;
- (b) it shall apply to all or any class of persons, officers or functions and powers of such officers;
- (c) it shall apply to all or any specified liquor(s) or classes thereof; and
- (d) it shall be in force only for some special period or occasion.

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT AND CONTROL

5. Financial Commissioner and Collector.—(1) The State Government may, by notification, appoint an Excise and Taxation Commissioner who shall exercise all the powers of Financial Commissioner, and subject to the control of the State Government, the general superintendence and administration of all matters relating to excise shall vest in him.

(2) The State Government may, by notification, appoint as many Collectors as it may deem fit, to discharge in any specified area the functions of the Collector under this Act and the Collector shall, subject to the control of the Financial Commissioner, control all other Excise Officers within his jurisdiction.

(3) The jurisdiction of the Financial Commissioner shall extend to the whole State and the jurisdiction of Collectors shall extend to the areas of the State in which they are for the time being employed.

6. Other classes of Excise Officers and their powers and jurisdiction.—(1) There shall be such other classes of Excise Officers as the State Government may, by notification, declare and it may appoint as many persons as it deems fit to be the Excise Officers of these classes.

(2) The State Government may, by notification, invest in any person, not being an Excise Officer, with powers to perform all or any of the functions of an Excise Officer, under this Act, and such person shall in the exercise of these functions be deemed to be an Excise Officer.

(3) The State Government shall, by notification, declare the powers to be exercised under this Act by the Excise Officer of each class.

(4) The jurisdiction of the Excise Officers shall, unless the State Government otherwise directs, extend to the districts in which they are for the time being employed.

7. Persons appointed under this Act to be public servants.—All persons appointed under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860. (45 of 1860).

8. Power to enter and unspect.—Any Excise Officer, not below such rank as the State Government may, by notification specify,—

- (a) enter and inspect, at any time by day or by night, any place in which any licensed manufacturer carries on the manufacture of or stores any liquor;
- (b) enter and inspect, at any time, any place in which any liquor is kept for sale by any person holding a license under this Act;
- (c) examine any accounts and registers, test, measure or weigh any materials, stills, utensils, implements, apparatus or testing instruments or liquor found in that place;
- (d) seize any accounts, register, measure, weights or testing instruments which he has reason to believe to be false or incorrect; and
- (e) seize any liquor which he has reasons to believe to be un- accounted for in the accounts and registers maintained by the licensee.

9. Power to investigate.—(1) The State Government may, by notification, invest any Excise Officer, with power to investigate any offence punishable under this Act, committed within the limits of the area in which the officer exercises jurisdiction.

(2) Every officer so empowered may within those limits exercise the same powers in respect of such investigation as an officer-in-charge of a police station may exercise in a cognizable case under the provisions of Chapter XII of the Code of Criminal Procedure, 1973. (2 of 1974).

10. Powers of Excise Officer to search, seize etc.—(1) Whenever any Excise Officer not below such rank as the State Government may, by notification, specify has reason to believe that an offence punishable under this Act, has been, is being, or is likely to be, committed by any person, in any place, and that a search warrant can not be obtained without affording the offender an opportunity of escape or of concealing evidence of the offence, he may, at any time, by day or night, enter and search such place.

(2) Any Excise Officer specified in sub-section (1) may seize anything found in such place which he has reason to believe to be liable to confiscation under this Act, and may detain and search and, if he thinks proper, arrest any person found in such place whom he has reason to believe to be guilty of such offence as aforesaid.

11. Powers of Magistrate to issue warrant for search or arrest.—A Magistrate having reason to believe that an offence under this Act has been, is being, or is likely to be, committed may—

- (a) issue a warrant for the search of any place in which he has reason to believe that any liquor, still, utensil, implement, apparatus or materials, in respect of which such offence has been, is being, or is likely to be, committed are kept or concealed; and
- (b) issue a warrant for the arrest of any person whom he has reason to believe to have been, to be, or to be likely to be, engaged in the commission of any such offence.

12. Powers of Excise Officers to obtain information.—(1) Any Excise Officer, not below such rank as the State Government may, by notification specify, may by order require any person to furnish to any specified authority or person any such information in his possession concerning any unlawful import, export, transport, manufacture, sale, purchase or possession of any liquor, or any material, still, utensil, implement or apparatus whatsoever, for the purpose of manufacturing any liquor, as may be specified in the order.

(2) Any person upon whom an order is served under sub-section (1) shall be bound, in the absence of reasonable excuse, to furnish correct information.

13. Police Officers to aid Excise Officers etc. and to take charge of articles seized.—(1) All Police Officers shall aid the Excise Officers and other authorities in carrying out the purposes of this Act.

(2) Every officer-in-charge of a police station shall take charge of, and keep in safe custody, pending the orders of a Judicial Magistrate or Collector concerned or an officer empowered under section 9 of this Act, to investigate the case, all articles seized under this Act which may be delivered to him, and shall allow any Excise Officer who may accompany such articles to the police station, or may be deputed for the purpose by his superior officer to affix his seal to the articles and take samples of and from them and all samples so taken shall also be sealed with the seal of the officer-in-charge of the police station.

14. Power to close liquor vends.—The Financial Commissioner shall prescribe the day(s) on which any liquor vend shall remain closed for observance of the dry days approved by the State Government or the Election Commission of India or the State Election Commission:

Provided that if the District Magistrate receives an information that a riot or unlawful assembly has occurred or is likely to occur in the vicinity of a liquor vend, he may, subject to the reasons to be recorded in writing, by order, require the licensee of such a liquor vend to keep the vend closed at such time as may be specified in such order:

Provided further that the order passed under the preceding proviso shall, at one time, remain in force for not more than twenty-four hours from the time, when it is made:

Provided further that the District Magistrate shall inform the Financial Commissioner and the Collector concerned of the order passed by him as soon as such order is made.

CHAPTER – III

PRODUCTION, MANUFACTURE, POSSESSION, IMPORT, EXPORT, TRANSPORT, PURCHASE OR SALE

PART –A MANUFACTURE

15. Prohibition of manufacture of liquor except under this Act.—(1) No person shall –

- (a) manufacture or produce any liquor , or
- (b) construct or work a distillery, brewery, winery or a warehouse (wherein any liquor may be deposited and kept without payment of excise duty or countervailing duty), or
- (c) bottle any liquor , or
- (d) use, keep or have in his possession, any materials, still, utensils, implement or apparatus whatsoever for the purpose of manufacturing or producing any liquor,

except under the authority, and subject to the terms and conditions as may be prescribed, in this behalf, by the Financial Commissioner.

(2) The State Government may, by notification, prohibit the use of distilled liquor of any description in the manufacture of any kind or class of liquor.

16. Establishment or licensing of distilleries, breweries, winery or warehouse.—The Financial Commissioner, subject to such restrictions or conditions as the State Government may impose, may—

- (a) establish a distillery in which spirit may be manufactured under a license granted under section 15;
- (b) discontinue any distillery so established;
- (c) license the construction and working of a distillery or brewery or a winery;
- (d) establish and license a warehouse wherein any liquor may be deposited and kept without payment of duty;
- (e) discontinue any warehouse so established; and

(f) make rules regarding—

- (1) grant of licenses for distilleries, stills, breweries or wineries;
- (2) the security to be deposited by the licensee of a distillery, brewery or winery;
- (3) the period for which the license shall be granted;
- (4) the inspection and examination of such distillery, brewery or winery and the warehouses connected therewith and of the spirit or fermented liquor made and stored therein;
- (5) the management and working of the distillery, brewery or winery;
- (6) the form of accounts to be maintained and the returns to be submitted by the licensee;
- (7) the upkeep of buildings and plant;
- (8) the size and description of stills, and other plant;
- (9) the manufacturing, storing and passing out of spirit or fermented liquor and the contents of passes;
- (10) the prices to be charged by the licensee; and
- (11) any other matters connected with the working of distilleries, breweries or wineries.

17. Prohibition of removal of liquor manufactured or stored in a distillery, brewery or warehouse etc.—No liquor manufactured or stored in any distillery, brewery, winery or warehouse or any other place of storage established or licensed under this Act shall be removed therefrom unless the excise duty or, as the case may be, the countervailing duty, if any, levied and payable under section 36 has been paid or a bond, as prescribed, has been executed for payment thereof.

PART-B
POSSESSION

18. Prohibition of possession of liquor.—(1) No person shall have in his possession any quantity of liquor in excess of such quantity as the State Government has under section 25, declared to be the limit of retail sale, except under the authority and in accordance with the terms and conditions of—

(a) a license for the manufacture, storage, sale or supply of such article, or

(b) a permit or a pass granted by the Collector in that behalf:

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any liquor in the possession of a common carrier or an Excise Officer or a Police Officer or other official or person who has its lawful custody under this Act.

(2) A licensed vendor shall not have in his possession at any place, other than that authorized by his license, any quantity of any liquor in excess of such quantity as the State Government has, under section 25, declared to be the limit of sale by retail, except under a permit granted by the Collector in that behalf.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the State Government may, by notification, prohibit the possession of any liquor or restrict such possession by such conditions as it may impose.

19. Possession of unused and printed labels, corks, etc. by certain person to be punishable.—No person shall have in his possession any unused and printed label, cork, capsule or seal duly approved by any authority under this Act or under any rule or order made thereunder for use by a person licensed to establish or work a distillery or brewery, winery or warehouse or to bottle liquor, or any other label, cork capsule, or seal which is an imitation of such unused and printed label, cork, capsule, or seal, as the case may be:

Provided that nothing therein shall apply to—

- (a) a person licensed to establish or work a distillery, brewery, winery or warehouse or to bottle liquor; or
- (b) a person who, in execution or an order received from a person specified in clause (a), manufactures or prints any such label, cork, capsule or seal.

20. Prohibition of possession of liquor unlawfully manufactured, imported, transported etc.—No person shall have in his possession any quantity of any liquor, knowing the same to have been unlawfully manufactured, imported, transported, or knowing that the prescribed excise duty, countervailing duty or other fee not to have been paid thereon.

PART-C

IMPORT, EXPORT AND TRANSPORT

21. Prohibition of import, export or transport of liquor.—No liquor shall be imported, exported or transported except,—

- (a) after payment of any excise duty or fee or countervailing duty, if any, to which it may be liable under this Act, or on execution of a bond, as prescribed, for such payment, and

(b) in accordance with such conditions as the State Government may impose.

22. Power of the State Government to prohibit or permit import, export or transport of liquor.—(1) The State Government may, by notification, prohibit,—

(a) the import or export of any liquor into or from the State or any part thereof, or

(b) the transport of any liquor.

(2) Save as otherwise provided by any rule made under this Act, no liquor exceeding such quantity, as the State Government may prescribe, shall be imported, exported or transported except under the authority of a pass granted by the Collector:

Provided that on such conditions as the Financial Commissioner, may prescribe, a pass granted under the excise law in force in another State may be deemed to be a pass granted under this Act.

PART-D

SALE etc.

23. Prohibition of sale etc. of liquor.—(1) No liquor shall be sold except under the authority and subject to the terms and conditions of a license granted, in this behalf, by the Financial Commissioner or Collector, as the case may be.

(2) No liquor shall be sold from a place other than the place specified in the license granted under sub-section (1).

(3) No person shall allow consumption of liquor at any public place, except under the authority of a license granted under sub-section (1).

(4) Nothing in this section applies to the sale of any foreign liquor lawfully procured by any person for his private use and sold by him or on his behalf or on behalf of his representatives in interest upon his quitting a station or after his demise.

24. Prohibition of sale etc. of adulterated liquor.—No licensed vendor and no person in the employ of such vendor or acting on his behalf shall adulterate any liquor, which the vendor is licensed to sell, by adding any substance in such a manner as to vary the prescribed strength or the quality of such liquor and no such vendor or person shall possess, store, sell or expose for sale, any such adulterated liquor.

25. Power of the State Government to declare limit of sale of liquor by retail and by whole sale.—The State Government may, by notification, declare with respect either to whole of State or to any local area comprised therein, and as regards purchasers generally or any specified

class of purchasers, and generally or for any specified occasion, the maximum or minimum quantity or both of any liquor, which for the purpose of this Act may be sold by retail sale and by whole sale.

26. Prohibition of sale to minor or his employment.—No licensed vendor or any person in the employ of such vendor or acting on his behalf shall,—

- (i) sell or deliver any liquor to any person under the age of eighteen years; or
- (ii) employ or permit to be employed, either with or without remuneration, any person under the age of eighteen years or suffering from contagious disease in any part of premises in which such liquor is consumed by the public.

CHAPTER – IV

LICENSES, PERMITS AND PASSES

27. Grant of leases of manufacture, sale etc.—(1) The State Government may lease to any person, competent to contract, on payment of such sum in addition to excise duty or countervailing duty, on such conditions and for such period, as it may deem fit, the right—

- (a) of manufacturing or of supplying by wholesale, or of both, or
- (b) of selling by wholesale or by retail, or
- (c) of storing for manufacture or sale, any country liquor, foreign liquor, beer, wine spirit within any specified area.

(2) The State Government may lease to any person, competent to contract, on payment of such fee and on such conditions as the Financial Commissioner may direct under section 28, the right of manufacturing and possessing for home consumption—

- (a) country liquor by distillation from specified fruits or grains in tribal areas, or
- (b) country fermented liquor from grains in any specified area.

Explanation.— For the purpose of this sub-section ‘tribal area’ or ‘specified area’ shall mean such area which stand notified as ‘tribal area’ or ‘notified area’ under the repealed Punjab Excise Act, 1914, on the date of commencement of the Himachal Pradesh Excise Act, 2009.

(3) The Financial Commissioner may grant to a lessee, a license for manufacturing or supplying the liquor in accordance with the terms of such lease as may be approved by the State Government under sub-section (1); provided that Collector may grant to a lessee, such licenses for sale of liquor by wholesale or by retail as the Financial Commissioner may prescribe.

(4) The Collector may grant to a lessee under sub-section (2) a permit in such form as the Financial Commissioner may prescribe.

28. Fees and other conditions for grant of licenses, permits and passes.—(1) Every license, permit or pass, under this Act, shall be granted—

- (a) on payment of such fees, if any,
- (b) in such form and containing such particulars,
- (c) subject to such restrictions and on such conditions, and
- (d) for such period,

as the Financial Commissioner may direct.

(2) For the purposes of sub-section (1), the power of the Financial Commissioner to issue directions shall include the power to direct the licensee of a distillery, brewery, winery or warehouse to—

- (a) provide free accommodation to the Excise Officer concerned at or near the licensed premises, failing which to pay to the State Government the rent and other charges for such accommodation as may be fixed by the Financial Commissioner; and
- (b) pay to the State Government the costs, charges and expenses, including salaries and allowances of such Excise Officers, which the State Government may incur in connection with the supervision of such distillery, brewery, winery or warehouse.

(3) The authority granting a license under this Act, may require the licensee to give such security for the observance of the terms of his license, or to make such deposit in lieu of security, as such authority may direct.

(4) Subject to the rules made by the Financial Commissioner, the Collector may grant licenses for the sale of any liquor within a district:

Provided that a license for sale in more than one district shall be granted by the Financial Commissioner only.

(5) Before any license is granted in any year for the retail sale of liquor for consumption on any premises which have not been so licensed in the preceding year, the Collector shall take such

measures as the State Government may prescribe, as may best enable him to ascertain local public opinion in regard to the licensing of such premises.

29. Power to cancel or suspend licenses etc.—Subject to such restrictions as the State Government may prescribe, the authority granting any lease, license, permit or pass under this Act, may cancel or suspend it—

- (a) if it is transferred or sublet by the holder thereof without the permission of the said authority; or
- (b) if any excise duty or countervailing duty or, other fee payable by the holder thereof is not duly paid; or
- (c) in the event of any breach by the holder of such lease, license, permit or pass or by his servants, or by any one acting on his behalf with his express or implied permission, of any of the terms or conditions of such license, permit or pass; or
- (d) if the holder thereof is convicted of any offence punishable under this Act or the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, (12 of 2005) the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956) or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 (3 of 1984) or of any cognizable and non-bailable offence, or any offence punishable under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, (61 of 1985) or under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958) or under the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (16 of 1955) or of any offence punishable under sections 482 to 489 (both inclusive) of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) or any offence referred to in section 135 of the Customs Act, 1962 ; (52 of 1962) or
- (e) where a license, permit or pass has been granted on the application of the grantee of a lease under this Act, on the request in writing of such grantee; or
- (f) at will, if the conditions of the license, permit or pass provides for such cancellation or suspension.

30. Power to cancel any other license and to recover fee.—(1) When a license, permit or pass held by any person is cancelled under clauses (a), (b), (c) or (d) of section 29, the authority granting the license may cancel any other license, permit or pass granted to such person by such authority within his jurisdiction but if such other license, permit or pass has been granted by any other authority, the Financial Commissioner may cancel or suspend the same.

(2) In the case of cancellation or suspension of a license under clauses (a), (b), (c) or (d) of section 29, the fee payable for the balance of the period for which any license would have been current but for such cancellation or suspension, may be recovered from the ex-licensee as excise revenue.

31. No compensation or refund claimable for cancellation or suspension of license etc.—When a lease, license, permit or pass is cancelled or suspended under clauses (a), (b), (c) or (d) of section 29 or under section 30, the holder of such lease, license, permit or pass, as the case may be, shall not be entitled to any compensation for its cancellation or suspension nor to the refund of any fee paid or deposit made in respect thereof.

32. Power to withdraw license etc.—(1) Whenever the authority which granted a license, permit or pass under this Act considers that such license, permit or pass should be withdrawn for any cause other than those specified in section 29, it may,-

- (a) withdraw the license, permit or pass on the expiration of fifteen days' notice in writing of its intention to do so; or
- (b) withdraw any such license, permit or pass forthwith without notice.

(2) If any license, is withdrawn forthwith without notice under clause (b) of sub-section (1), there shall be paid to the licensee such sum, by way of compensation, as the Financial Commissioner may direct.

(3) When a license, permit or pass is withdrawn under this section, any fee paid in advance or deposit made by the licensee in respect thereof shall be refunded to him, after deducting the amount, if any, due to the State Government.

33. Technical irregularities in license etc.—(1) No lease, license, permit or pass granted under this Act shall be deemed to be invalid by reasons merely of any technical defect, irregularity or omission in the lease, license, permit or pass or in any proceedings taken prior to the grant thereof.

(2) The decision of the Financial Commissioner as to what is a technical defect, irregularity or omission shall be final.

34. No claim in consequence of refusal to renew a license etc.—No person to whom a lease, license, permit or pass has been granted shall be entitled to claim any renewal thereof and no claim shall lie for damages or otherwise in consequence of any refusal to renew a lease, license, permit or pass on the expiry of the period for which it remains in force.

35. Surrender of license.—No holder of a license granted under this Act to sell liquor shall surrender his license except on the expiration of one month's notice in writing given by him, to the authority which granted the license, of his intention to surrender the same and on payment of the fee payable for the license for the whole period for which it would have been current but for the surrender:

Provided that if the authority is satisfied that there is sufficient reason for surrendering the license, he may remit to the holder thereof the sum so payable on surrender or any portion thereof.

Explanation.— The expression “holder of a license” as used in this section includes a person whose tender or bid or application for allotment of a license for any liquor vend has been accepted, although he may not actually have received the license.

DUTIES OF EXCISE AND COUNTERVAILING DUTIES

36. Excise duty and countervailing duty.—(1) There shall be levied and paid an excise duty or the countervailing duty, as the case may be, at such rate or rates as the State Government may, by notification direct, on any alcoholic liquor for human consumption—

- (a) manufactured, produced or bottled in the State under any license granted under section 15 of this Act;
- (b) manufactured or produced elsewhere in India but imported or transported into State; and
- (c) imported, exported or transported in accordance with the provisions of section 21 of this Act.

(2) The excise duty or countervailing duty may be imposed under sub-section (1) at different rates according to varying kind, strength, quality or price of alcoholic liquor for human consumption.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no excise duty or countervailing duty shall be levied on—

- (a) any alcoholic liquor for human consumption imported into India and which, on its importation, was liable to duty under the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) or the Customs Act, 1962, (52 of 1962) and
- (b) medicinal preparations and toilet preparations containing alcohol on which excise duty is levied under the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955. (16 of 1955)

37. Manner in which duty be levied.—Subject to such rules regulating the time, place and manner as the Financial Commissioner may prescribe, such duty shall be levied rateably, on the quantity of alcoholic liquor for human consumption imported, transported or manufactured in, or issued from a distillery, brewery, winery or warehouse.

38. Payment for grant of leases.—The State Government may, in addition to or instead of any excise duty or countervailing duty leviable under this Chapter, accept a sum in consideration of the lease of any right under section 27.

CHAPTER -VI

OFFENCES AND PENALTIES

39. Penalty for unlawful production, manufacture, possession, import, export, transport, sale etc.—(1) Whoever, in contravention of any provisions of this Act, or of the rules made thereunder or notification issued, or any order made, or of any license, permit or pass granted under this Act—

- (a) produces, manufactures, possesses, imports, exports or transports any liquor, or

- (b) constructs or works any distillery or brewery or winery or warehouse, or
- (c) uses, keeps or has in his possession any material, still, utensil, implement or apparatus whatsoever, for the purpose of manufacturing or producing any liquor,

shall be punishable for every such offence with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine which may extend to two lakh rupees but shall not be less than five thousand rupees:

Provided that in the case of an offence relating to the possession of—

- (i) a working still for manufacture of any liquor, the imprisonment shall not be less than three years and the fine shall not be less than one lakh rupees;
- (ii) lahan, the imprisonment shall not be less than one year and the fine shall not be less than fifty thousand rupees;
- (iii) country liquor manufactured otherwise than in a licensed distillery or warehouse in Himachal Pradesh—
 - (a) in a quantity not exceeding seven-and-a-half liters, the imprisonment shall not be less than six months and the fine shall not be less than five thousand rupees; and
 - (b) in a quantity exceeding seven-and-a-half liters, the imprisonment shall not be less than one year and the fine shall not be less than ten thousand rupees;
- (iv) foreign liquor other than,—
 - (a) manufactured in a licensed distillery or brewery or winery or warehouse in India; or
 - (b) imported into India on which custom duty is leviable under the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) or the Customs Act, 1962, (52 of 1962)

the imprisonment shall not be less than one year and the fine shall not be less than twenty thousand rupees:

Provided further that in the case of an offence relating to import, export or transport of—

- (i) country liquor exceeding forty-five litres; or
- (ii) foreign liquor exceeding forty-five litres; or

- (iii) other spirits exceeding five litres,

such imprisonment shall not be less than three years and the fine shall not be less than one lakh rupees.

(2) Whoever, in contravention of any provisions of this Act or the rules made thereunder or notification issued, or any order made, or of any licence, permit or pass granted under this Act—

- (i) possesses any unused and printed label, cork, capsule, or seal, or an imitation thereof; or
- (ii) sells any liquor; or
- (iii) bottles any liquor; or
- (iv) removes any liquor from any distillery, brewery, winery or warehouse or other place of storage established or licensed under this Act; or
- (v) adulterates any liquor by adding any substance with an intention to vary the prescribed strength or quality of such liquor,

shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh rupees.

40. Penalty for rendering or attempting to render denatured spirit fit for human consumption.—Whoever renders or attempts to render fit for human consumption any denatured spirit or knowingly possesses any spirit so rendered or attempted to be rendered, fit for human consumption, shall be punishable with imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to five years and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh rupees.

41. Penalty for mixing noxious substance with liquor.—Whoever mixes or permits to be mixed with any liquor sold or manufactured or possessed by him any noxious drugs or any foreign ingredient likely to cause disability or grievous hurt or death to human beings, shall on conviction be punishable,-

- (a) if as a result of such an act, death is caused to any person, with punishment which may extend to death and with fine which may extend to ten lakh rupees;
- (b) if as a result of such an act, grievous hurt is caused to any person, with imprisonment which shall not be less than six years but which may extend to life term and with fine which may extend to five lakh rupees;

- (c) if as a result of such an act, any other consequential injury is caused to any person, with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to two lakh fifty thousand rupees; and
- (d) if as a result of such an act, no injury is caused to any person, with imprisonment which may extend to six months and with fine which may extend to one lakh rupees.

Explanation.—For the purpose of this section the expression “grievous hurt” shall have the same meaning as defined in section 320 of the Indian Penal Code, 1860. (45 of 1860).

42. Payment of compensation.—(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and without prejudice to any other punishment, the court when passing judgment in a case under section 41, may, if it is satisfied that death or injury has been caused to any person due to consumption of such liquor, order the person found guilty to pay, by way of compensation, an amount—

- (a) not less than three lakh rupees to the legal representatives of each of the deceased, or
- (b) not less than two lakh rupees to the person to whom grievous hurt has been caused, or
- (c) not less than twenty thousand rupees to the person for any other consequential injury.

(2) Any person aggrieved by an order passed under sub-section (1) may, within ninety days from the date of order, prefer appeal in the High Court:

Provided that no appeal shall be entertained unless the amount of compensation ordered to be paid under sub-section (1) is deposited in the court:

Provided further that the High Court may entertain appeal after expiry of the said period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

43. Penalty for certain acts by licensee or his servant.—Whoever, being the holder of a licence, permit or pass granted under this Act or being in the employ of such holder or acting on his behalf -

- (a) contravenes the provisions of section 26; or
- (b) allows disorderly conduct or gaming or prostitution on the licenced premises; or
- (c) fails wilfully to produce such license, permit or pass on demand of any Excise Officers; or
- (d) in any case not provided for in section 39, wilfully contravenes any rules made under sections 79 or 80; or
- (e) wilfully does or omits to do anything in breach of any of the conditions of the license, permit or pass not otherwise provided for in this Act; or
- (f) reduces the strength of any liquor below the prescribed limit;

shall be punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees but shall not be less than five thousand rupees.

44. Penalty for fraud by licensed manufacturer or vendor or his servant.—If any licensed manufacturer or licensed vendor or any person in his employ or acting on his behalf—

- (a) sells, or keeps, or exposes for sale as foreign liquor any liquor which he knows or has reason to believe to have been manufactured from rectified spirit or country liquor; or
- (b) marks any bottle, case, package or other receptacle containing liquor so manufactured from rectified spirit or country liquor, or other receptacle containing such liquor with the intention of causing it to be believed that such bottle, case, package, or other receptacle contains foreign liquor,

he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to two thousand rupees.

45. Penalty for consumption of liquor in chemist's shop.—(1) If any chemist, druggist, apothecary or keeper of a dispensary, allows any liquor which has not been bona fide medicated for medicinal purposes to be consumed on his business premises by any person, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which shall not be less than two thousand rupees and which may extend to ten thousand rupees.

(2) If a person consumes any such liquor on such premises he shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees.

46. Penalty for consumption of liquor in public places.—Whoever in contravention of any of the provisions of this Act or of any rule, notification or order made thereunder,—

- (a) consumes liquor in any unlicensed public place, or
- (b) after consuming liquor at any place creates nuisance in a public place, shall be punishable -
 - (i) in the case of an offence falling under clause (a), with fine which shall not be less than one thousand rupees and which may extend to five thousand rupees ; and
 - (ii) in the case of offence falling under clause (b), with imprisonment for a term which may extend to three months and fine which shall not be less than two thousand rupees and which may extend to ten thousand rupees.

47. Penalty for offences not otherwise provided for.—Whoever is guilty of any act or intentional omission in contravention of any of the provisions of this Act, or of any rule, notification or order made, issued or given thereunder, and not otherwise provided for in this Act, shall be punishable for every such act or omission with a fine which may extend to one thousand rupees.

48. Manufacture, sale or possession by one person on account of another.—(1) When any liquor has been manufactured or sold or is possessed by any person on account of any other person and such other person knows or has reason to believe that such manufacture or sale was, or

that such possession is, on his account, the article shall for the purpose of this Act be deemed to have been manufactured or sold by or deemed to be in the possession of such other person.

(2) Nothing in sub-section (1) shall absolve any person who manufactures, sells or possesses any liquor on account of another person from liability to any punishment under this Act for the unlawful manufacture, sale or possession of such article.

49. Enhanced punishment for detain offences after previous conviction.—Whoever having been convicted, of an offence under section 39 of this Act, is subsequently convicted of a similar offence under the said section, shall be punishable for every such subsequent offence with double the sentence of imprisonment and fine awarded on previous conviction:

Provided that the enhanced punishment shall not exceed the imprisonment of five years and a fine of three lakhs rupees:

Provided further that the enhanced punishment in any case shall not affect the minimum sentences provided for the offences specified in the first or the second proviso of sub-section (1) of section 39 of this Act.

50. Attempt to commit or abet offences punishable.—Whoever attempts to commit or abets any offence punishable under this Act shall be liable to the punishment provided for the offence.

51. Procedure relating to arrests, searches etc.—Save as otherwise expressly provided in this Act, the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, (2 of 1974) relating to arrests, detentions in custody, searches, summons, warrants of arrest, search-warrants, production of persons arrested and investigation of offences etc. shall be applicable to all action taken in relation thereto under this Act:

Provided that any offence under this Act may be investigated by an officer empowered under section 9 without the order of a Judicial Magistrate:

Provided further that whenever an Excise Officer makes any arrest, seizure or search, he shall, within twenty-four hours thereafter, make a full report of all the particulars of the arrest, seizure or search to his immediate official superior, and shall, unless bail is accepted under this section, take or send the person arrested, or the article seized, with convenient dispatch to a Judicial Magistrate for trial or adjudication.

52. Report by investigating officer for institution of proceedings.—(1) Subject to the other provisions of this Act, if on an investigation by an Excise Officer, empowered under section 9 of this Act, it appears that there is sufficient evidence to justify the prosecution of the accused, the investigating officer, unless he submits the report for orders of the Collector under section 65, shall submit a report, which shall for the purposes of section 190 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) be deemed to be a police report, to a Judicial Magistrate having jurisdiction to enquire into or try the case and empowered to take cognizance of offences on police report.

(2) If the Excise Officer is satisfied on completion of investigation that there does not exist sufficient evidence to justify the prosecution of the accused, he shall submit a report to the Collector concerned, who may pass such order as may deem fit.

53. Offences to be bailable etc.—All offences punishable under this Act shall be bailable within the meaning of Code of Criminal Procedure, 1973: (2 of 1974).

Provided that the offences punishable under the first proviso and second proviso of sub-section (1) of section 39, and sections 40 and 41 of this Act shall be non-bailable.

54. Security for appearance in case of arrest without warrant.—(1) The State Government may empower any Excise Officer to grant bail, notwithstanding that such officer is not empowered under section 9.

(2) When a person is arrested under this Act, otherwise than on warrant, by a person or officer who is not empowered to grant bail, he shall be produced before—

- (a) the nearest Excise Officer empowered by the State Government to grant bail, or
- (b) the nearest officer-in-charge of a police station, whoever is nearer.

(3) Whenever any person arrested under this Act, otherwise than on a warrant, is prepared to give bail, and is arrested by, or produced in accordance with sub-section (2) before an officer empowered to grant bail, he shall be released upon bail, or, at the discretion of the officer releasing him, on his own bond.

(4) The provision of Chapter XXXIII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall apply, so far as may be, in every case in which bail is accepted or a bond taken under this section.

55. Cognizance of offences.—(1) No Judicial Magistrate shall take cognizance of any offence punishable,-

- (a) under sections 39, 40 or 41, except on the complaint or report of an Excise Officer; or
- (b) under sections 43, 44, 45, 46 or 47, except on the complaint of the Collector or an Excise Officer authorized by him in that behalf.

(2) Except as otherwise provided elsewhere in this Act, no court shall take cognizance of an offence under sub-section (1), after the expiry of the period of limitation specified in sub-section(3).

(3) The period of limitation for the offences shall be –

- (a) six months, if the offence is punishable with fine only;
- (b) one year, if the offence is punishable with imprisonment for a term not exceeding one year; and
- (c) three years, if the offence is punishable with imprisonment for a term exceeding one year.

(4) For the purposes of this section, the period of limitation, in relation to offences which may be tried together, shall be determined with reference to the offence which is punishable with the more severe punishment or, as the case may be, the most severe punishment.

56. Presumption as to commission of offence in certain cases.—(1) Whenever any person is found in possession of—

- (a) any still, utensil, implement or apparatus whatsoever or any part or parts thereof, as are ordinarily used for the manufacture of any liquor, or
- (b) any materials which has undergone any process towards the manufacture of liquor or from which liquor has been manufactured,

it shall be presumed, until the contrary is proved, that his possession was in contravention of the provisions of this Act.

(2) It shall be presumed without further evidence, until the contrary is proved, that the accused person has committed an offence under section 40 in respect of any denatured spirit which has been or attempted to be rendered fit for human consumption.

57. Liability of employer for offence committed by the employee or agent.—The holder of a license, permit or pass under this Act as well as the actual offender, shall be liable to punishment for any offence punishable under sections 39, 40, 43 or 44 committed by any person in his employ or acting on his behalf as if he had himself committed the same, unless he establishes that all due and reasonable precautions were exercised by him to prevent the commission of such offence.

58. Relevancy of statements under certain circumstances.—A statement made and signed by a person before any officer empowered under section 9 for the investigation of offences, during the course of any inquiry or proceedings by such officer, shall be relevant for the purpose of proving, in any prosecution for an offence under this Act, the truth of the facts which it contains—

- (a) when the person who made the statement is dead or cannot be found, or is incapable of giving evidence, or is kept out of the way by the adverse party, or whose presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which, under the circumstances of the case, the court considers unreasonable; or
- (b) when the person who made the statement is examined as a witness in the case before the court and the court is of the opinion that having regard to the circumstances of the case, the statement should be admitted in evidence in the interest of justice.

CHAPTER-VII

CONFISCATION

59. Confiscation of article in respect of which offence committed.—(1) Whenever an offence punishable under this Act has been committed,-

- (a) every liquor or excise bottle in respect of which such offence has been committed, together with the contents of such bottle, if any;
- (b) every still, utensil, implement or apparatus and all materials in respect of or by means of which such offence has been committed;

- (c) every liquor or excise bottle lawfully imported, transported or manufactured, had in possession or sold alongwith or in addition to, any liquor liable to confiscation under clause (a);
- (d) every receptacle, package, container and covering in which any liquor, excise bottle, materials, still, utensil, implement or apparatus as aforesaid is or are found together with the other contents, if any, of such receptacle, package, container or covering; and
- (e) every cart, vessel, raft or other conveyance used in carrying such receptacle, package, container, covering or articles as aforesaid;

shall be liable to confiscation.

(2) When in the trial of any offence punishable under this Act, the Judicial Magistrate decides that anything specified in clauses (a), (b), (c) or (d) of sub-section (1) is liable to confiscation, he may order confiscation thereof, except the liquor, the vehicle or the conveyance as specified in section 60.

(3) When there is reason to believe that an offence under this Act has been committed, but the offender is not known or cannot be found and when any thing liable to confiscation under this Act and not in the possession of any person cannot be satisfactory accounted for, the case shall be enquired into and determined by the Collector concerned, who may order confiscation thereof:

Provided that no such order shall be made until the expiration of one month from the date of seizing the thing in question or without hearing the person, if any, claiming any right thereto, and considering the evidence, if any, which he produces in support of his claim:

Provided further that if the thing in question is liable to speedy and natural decay or if the Collector concerned is of opinion that the sale of the thing in question would be for the benefit of its owner, he may, at any time, direct it to be sold; and the provisions of this section and section 61 shall, so far as may be, apply to the net proceeds of such sale.

60. Inspection and seizure of vehicle, conveyance and liquor liable to confiscation.—(1) Any Excise Officer may, if he has reasons to believe that a vehicle or conveyance has been or is being used in the commission of offence under section 39 of this Act, require the driver or other person-in-charge of such vehicle or conveyance to stop it and cause it to remain stationary as long as may reasonably be necessary to examine the contents in it and inspect all records relating thereto, which are in the possession of such driver or other person-in-charge of such vehicle or conveyance.

(2) When there is reason to believe that an offence has been committed under section 39, in respect of any liquor, such liquor together with vehicle or conveyance used in committing such offence, may be seized by any Excise Officer.

(3) Every Excise Officer seizing any liquor or vehicle or conveyance under this section shall place on such liquor or vehicle or conveyance a mark indicating that the same has been seized and shall, as soon as may be, make a report of such seizure to the Excise Officer-in-charge of the district.

(4) The Excise Officer seizing the liquor or vehicle or conveyance shall take appropriate steps for the safe custody of the liquor, vehicle or conveyance till the orders under section 61 are passed by the Excise Officer-in-charge of the district.

61. Confiscation of vehicle or conveyance by Excise Officer in certain cases.—(1) Where an offence is believed to have been committed under section 39 of this Act, in respect of any liquor, the Excise Officer-in-charge of the district on being satisfied that the vehicle or conveyance has been used for commission of offence under section 39, may order confiscation of the vehicle or conveyance so seized together with the liquor.

(2) Where the Excise Officer-in-charge of the district, after passing an order of confiscation under sub-section (1), is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, he may order confiscated vehicle or conveyance or liquor to be sold by public auction, and the proceeds thereof, after deduction of the expenses of any such auction or other incidental expenses relating thereto, shall, where the order of the confiscation made under sub-section (1) is set aside or annulled by an order under section 67 or 68, be paid to the owner thereof or the person from whom it was seized.

62. Issue of show cause notice before confiscation under section 61.—(1) No order confiscating any vehicle or conveyance shall be made under section 61, except after notice in writing to the person from whom it is seized and the registered owner thereof, and considering their objections, if any.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), no order confiscating any vehicle or conveyance shall be made under section 61 of this Act, if the owner of such vehicle or conveyance proves to the satisfaction of the Excise Officer-in-charge of the district that it was used in carrying the liquor without the knowledge or connivance of the owner himself, his agent, if any, and the person-in-charge of such vehicle or conveyance and that each of them had taken all reasonable and necessary precautions against such use:

Provided that the confiscation made under section 61 of this Act shall not affect the punishment of the accused for the offence for which he is liable under this Act.

63. Penalty in lieu of confiscation.—Notwithstanding anything contained in section 61, the Excise Officer-in-charge of the district may, in lieu of confiscation of the vehicle, accept by way of penalty a sum not exceeding the market price of the vehicle or the conveyance.

64. Disposal of seized liquor during the pendency of trial.—(1) Whenever any liquor seized under this Act is the subject matter of any trial of an offence before a Judicial Magistrate, he may, having regard to its vulnerability to theft, substitution, constraints of proper storage space or any other relevant considerations, after its seizure, order the same to be disposed of by such officer and in such manner as the State Government may, by notification, specify, after following the procedure specified in sub-section (2).

(2) Where any liquor has been seized and forwarded to the officer-in-charge of the nearest police station, the officer referred to in sub-section (1) shall prepare an inventory of such liquor containing such details relating to its description, quality, quantity, mode of packing, marks, numbers or such other identifying particulars of such liquor or the packing in which it is packed, Country or State of origin and other particulars as the officer referred to in sub-section (1) may consider relevant to the identity of the liquor in any proceedings under this Act before a Judicial Magistrate and make an application, to him for the purpose of –

(a) certifying the correctness of the inventory so prepared; or

(b) taking, in the presence of such Magistrate, photographs of such liquor and certifying such photographs as true; or

(c) allowing to draw representative samples of such liquor, in the presence of such Magistrate and certifying the correctness of any list of samples so drawn.

(3) Where an application is made under sub-section (2), the Judicial Magistrate shall, as soon as may be, allow the application.

(4) Notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) or the Code of Criminal Procedure, 1973, (2 of 1974) every court trying an offence under this Act, shall treat the inventory, the photographs of liquor and any list of samples drawn under sub-section (2) and certified by the Judicial Magistrate, as primary evidence in respect of such offence.

CHAPTER –VIII

COMPOSITION

65. Composition of offences by the Collector.—(1) The Collector may, on an application from any person who is reasonably suspected of having committed an offence punishable under sections 43, 44, 45, 46 or 47 including the attempts to commit or abet any of these offences under section 50 of this Act, accept a sum of money not exceeding twenty five thousand rupees subject to a minimum of five thousand rupees by way of composition, for each of such offences, and on payment of such sum of money to the Collector, the accused person if in custody shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence.

(2) If any lease, license, permit or pass has become liable for cancellation or suspension or has been cancelled or suspended under clauses (a), (b) or (c) of section 29 of this Act, the authority having power to cancel or suspend it, may, on application made by holder of such lease, license, permit or pass, after payment of such penalty, as it may fix, revoke or forego such cancellation or suspension, as the case may be.

(3) Where any liquor has been seized under the provisions of this Act, the Collector may, if he considers it expedient but subject to the provisions of section 64, at any time, before the Judicial Magistrate has passed an order under sub-section (2) of section 59, release it on receiving payment of the value thereof, if such liquor is fit for human consumption:

Provided that such release of liquor shall not affect the punishment of the accused for the offence for which he is liable under this Act.

66. Composition of certain other offences.—(1) Notwithstanding anything contained in section 39, any offence whether committed before or after commencement of this Act relating to the import, export, transport or possession upto one hundred litres of lahan or upto forty-five bulk litres of liquor, may, on an application made by the accused, be compounded:-

- (i) before institution of the prosecution, by the Excise Officer of first class (not below the rank of the Excise Officer Incharge of the district), and
- (ii) after institution of the prosecution, by the Judicial Magistrate of the first class, by accepting an amount which shall not be less than five thousand rupees but which shall not exceed twenty-five thousand rupees.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence:

Provided that if a person commits an offence specified in sub-section (1), for more than three times, the same shall not be compounded.

(3) When a case has been compounded under sub-section (1), the Judicial Magistrate of the first class or the Excise Officer of first class (not below the rank of Excise Officer-in-charge of the district), as the case may be, may make such orders as he thinks fit for the disposal of the case property.

CHAPTER -IX

APPEAL AND REVISION

67. Appeal.—(1) Any person aggrieved by an order passed by any Excise Officer under this Act may, within thirty days from the date of communication of such order, appeal to the Collector in the manner prescribed.

(2) Any person aggrieved by an order passed by the Collector, under sub-section (1) may, within thirty days from the communication of such order, appeal to the Financial Commissioner.

68. Revision.—(1) The Financial Commissioner may, of his own at any time, call for the record of any proceedings which are pending before, or have been disposed of, by any Collector or Excise Officer, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such proceedings or order made therein and may pass such order in relation thereto as he may think fit.

(2) No order shall be passed under this section, which adversely affects any person, unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.

69. Bar of certain proceedings.—No proceedings undertaken or order passed, by any authority appointed under this Act, or the rules made thereunder, shall be called into question in any court.

CHAPTER -X

RECOVERY OF DUES

70. Power to recover license fee etc.—In the case of cancellation or suspension of a license under clauses (a), (b), (c), (d) or (e) of section 29, the license fee payable for the balance of the period for which any license would have been current but for such cancellation or suspension, including any other fee, may be recovered from such licensee as excise revenue.

71. Power of Collector to take grants under his management or resell and recover deficiency.—If any holder of a license granted under this Act, or any person to whom a lease has been granted under section 27, makes default in complying with any condition imposed upon him

by such license or lease, the Collector may take the grant under his management at the risk of the person who has so defaulted, or may resell it and recover any deficiency in price and all expenses of such resale in the manner specified in section 72 of this Act.

72. Excise revenue to be first charge and recoverable as arrears of land revenue.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force, any amount of excise revenue including all other amounts due to the State Government under this Act from any person shall be the first charge on the property of such person including the distillery, brewery, winery, warehouse, shop, premises, fittings, apparatus and all stocks of liquors or materials for manufacture of the same.

(2) All excise revenue including all other amounts due to the State Government under this Act, which remain unpaid after the due date, shall be recoverable as arrears of land revenue under the provisions of Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954. (6 of 1954).

CHAPTER-XI

GENERAL PROVISIONS

73. Measures, weights and testing instruments.—Every person who manufactures or sells any liquor under a license granted under this Act shall be bound—

- (a) to keep such measures, weights and instruments as the Financial Commissioner may prescribe, and to keep the same in good condition; and
- (b) on the requisition of any Excise Officer, duly empowered by the Collector in that behalf, at any time, to measure, weigh or test any liquor in his possession in such manner as the said Excise Officer may require.

74. Power to exempt.—The State Government may, by notification, either wholly or partially and subject to such conditions as it may think fit, exempt any liquor from all or any of the provisions of this Act.

75. Delegation of powers.—(1) State Government may, by notification, delegate to the Financial Commissioner any of its powers under this Act, except the powers conferred by sections 5,6,8,9,12,15,16,36,74 and 79.

(2) The State Government may, by notification, permit the delegation by the Financial Commissioner or Collector to any person or class of persons specified in such notification of any powers conferred on them by this Act.

76. Power to regulate advertisement.—No advertisement, direct or surrogate, shall be made for promoting consumption of liquor.

77. Establishment of check posts or barriers.—The Financial Commissioner may, by notification, establish check posts or barriers at such places as it thinks fit, for prevention and checking of illegal transport of liquor by any means and for carrying out the purposes of this Act.

78. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie in any court against the State Government or any officer of the State

Government or any other person exercising any power or discharging any functions or performing any duties under this Act, for any thing done or ordered to be done or intended to be done in good faith under this Act or any rules or order made thereunder.

79. Power of the State Government to make rules.—(1) Except as otherwise provided in section 80, the State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provision, the State Government may make rules,—

- (a) to provide for the powers and duties of Excise Officer;
- (b) to permit delegation of powers by the Financial Commissioner or the Collector;
- (c) to provide for the time and manner of presenting appeals and the procedure for prosecuting and dealing with appeals;
- (d) regulating import, export, transport, manufacture, collection, possession supply or storage of any liquor, molasses or excise bottle and wholesale or retail sale of any liquor;
- (e) regulating the time, place and manner of payment of Excise duty or countervailing duty and taking of security for its due payment;
- (f) providing for grant of award to Excise Officer and informers;
- (g) regulating the power of Excise Officers to summon witnesses;
- (h) curbing activities of boot-leggers who distill, manufacture, store, import, export, transport, sell or distribute any liquor in contravention of any provisions of this Act or the rules made thereunder;
- (i) regulating the periods and localities for which, and the persons, or classes of persons, to whom, licenses, permits and passes for the vend by wholesale or by retail of any liquor may be granted and regulating the number of such licenses which may be granted in any local area;
- (j) providing for the procedure to be followed and the matters to be ascertained before any license is granted for the retail vend of liquor for consumption on the premises;
- (k) prohibiting the printing, publishing or otherwise displaying or distributing any advertisement or other matter commanding or soliciting the use of, or offering any liquor calculated to encourage or incite any individual or class or classes of individuals or the public generally to commit an offence under this Act, or to commit a breach or evade the provisions of any rule or order made thereunder, or the conditions of any license, permit or pass obtained thereunder;
- (l) prohibiting within the State the circulation, distribution or sale of any newspaper, book, leaflet, booklet, or other publication printed and published outside the State which contains any advertisement or matter of the nature described in clause (k);

(m) declaring any newspaper, book, leaflet, booklet, or other publication wherever printed or published, containing any advertisement or matter of the nature described in clause (k) to be forfeited to the State Government; and

(n) implementing generally the policy of prohibition.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than ten days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

80. Powers of Financial Commissioner to make rules.—The Financial Commissioner may, by notification, make rules—

(a) regulating the manufacture, supply, storage or sale of any liquor including the character, erection, alteration, repair, inspection, supervision, management and control of any place for the manufacture, supply, storage or sale of such article and the fittings, implements, apparatus and registers to be maintained therein;

(b) regulating the bottling of liquor for purposes of sale;

(c) regulating the deposit of any liquor in a warehouse and the removal of any liquor from any warehouse or distillery, or brewery or winery;

(d) providing for the scale of fees or the manner of fixing the fees payable in respect of any license, permit or pass, or in respect of the storing of any liquor;

(e) regulating the time, place and manner of payment of any fee;

(f) providing for the authority by whom, the restrictions under which and the conditions on which, any license, permit or pass may be granted, which may include—

(i) the prohibition of the admixture with any liquor of any substance deemed to be noxious or objectionable;

(ii) the regulation or prohibition of the reduction of liquor by a licensed manufacturer or licensed vendor from a higher to a lower strength;

(iii) the fixing of the strength, or price below or above which any liquor may not be sold, supplied or possessed;

(iv) the prohibition of sale of any liquor, except for cash;

(v) the fixing of the days and hours during which any licensed premises may or may not be kept open, and the closure of such premises on special occasions;

(vi) the specification of the nature of the premises in which any liquor may be sold, and the notices to be exposed at such premises;

- (vii) the form of the accounts to be maintained and the returns to be submitted by license holders;
- (viii) the prohibition or regulation of the transfer of licenses;
- (ix) declaring the process by which spirit shall be denatured;
- (x) causing spirit to be denatured through the agency or under the supervision of its own officers; and
- (xi) ascertaining whether such spirit has been denatured;

- (g) providing for the destruction or other disposal of any liquor deemed to be unfit for human consumption or use;
- (h) regulating the disposal of confiscated articles; and
- (i) providing for the amount of security to be deposited by holders of leases, licenses, permits or passes for the performance of the conditions of the same.

81. Repeal and savings.—(1) Except the provisions contained in section 1, clauses (3), (5), (6), (6-b), (9), (10), (11), (12), (12-a), (14), (16), (19) and (21) of section 3 and sections 16, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33-A, 58, 59 and 60 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act No. 1 of 1914), (hereinafter called the 'said Act') as in force by virtue of section 88 of the Punjab Re-organization Act, 1966 (Act No. 31 of 1966) in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 thereof and as applied to the areas which comprised Himachal Pradesh immediately before the 1st day of November, 1966, by virtue of the Himachal Pradesh (Application of Laws) Order, 1948 and the Bilaspur (Application of Laws) Order, 1949, all other provisions of the said Act are hereby repealed:

Provided that the repeal of these provisions of the said Act shall not affect, —

- (a) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Act; or
- (b) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Act; or
- (c) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid; and

any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the provisions of the said Act had not been repealed:

Provided further that anything done or any action taken, including any appointment or delegation made, notification, order or directions issued, rule made, license granted, duty levied, license fee or other fee imposed, under the repealed provisions of the said Act shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act and such appointment, delegation, notification, order,

direction, rules, license, duty, license fee or other fee shall continue to be in force accordingly until superseded.

(2) For carrying out the purposes of the un-repealed provisions of the said Act, the relevant provisions of this Act relating to, -

- (i) definitions,
- (ii) establishment, control, powers and duties of officers,
- (iii) appeals and revision,
- (iv) delegation of powers, and
- (v) establishment of check posts or barriers,

subject to the unrepealed provisions of the said Act, shall apply mutatis mutandis.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present, the intoxicating liquors and the levy of duties of excise and countervailing duties on alcoholic liquors are subject to the two versions of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act No. 1 of 1914), namely, (a) as in force, by virtue of section 88 of the Punjab Re-organization Act, 1966 (Act No.31 of 1966) , in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 thereof, and (b) as applied to the areas which comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st day of November, 1966 by virtue of the Himachal Pradesh (Application of Laws) Order, 1948 and the Bilaspur (Application of Laws) Order, 1949.

Consequently, it is considered appropriate to dispense with the existing statutory duality and to consolidate and amend the provisions of the prevalent law relating to production, manufacture, possession, transport, import, export, purchase and sale of intoxicating liquors and levy of the duties of excise and countervailing duties on alcoholic liquors for human consumption or use by providing for a single unified statute. In order to curb rising illicit trafficking in liquor, it is also considered essential to make more effective and stringent provisions in relation to penalties, confiscations of liquor and conveyances etc. used in committing the offences. It is also proposed to streamline the procedure connected with the seizure, confiscation and disposal etc. of liquor and other articles to impart effectiveness to the process of investigation and trial of offences under the Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Prem Kumar Dhumal,
Chief Minister.

Dharamshala :
The 2009.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 36 of the Bill provides for levy of excise duty and countervailing duty on any excisable article (i.e. alcoholic liquor for human consumption) which at present is being levied under the Punjab Excise Act, 1914, as applied to the State of Himachal Pradesh, the provisions of which to

that extent is being repealed. However, the levies in the nature of manufacture and export duties and excise duties on non- excisable articles which enjoys the protection of article 277 of the Constitution shall continue to be levied under the unrepealed provisions of the Act ibid as per clause 81 of the Bill. Thus, there shall be no loss to the State Exchequer and the existing excise revenue of Rs. 360 crores is expected to continue to accrue to the State Exchequer. The provisions of the Bill when enacted will be administered by the existing administrative machinery and there shall be no additional expenditure from the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 75 of the Bill seeks to empower the State Government to delegate its powers to the Financial Commissioner and also seeks to permit delegation by the Financial Commissioner and the Collector, of their powers to any person or class of persons specified in the notification. Further, clauses 79 and 80 of the Bill seeks to empower the State Government and the Financial Commissioner respectively to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of powers is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(Excise and Taxation Department File No. EXN-F(1)(2/88-I)

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Excise Bill, 2009, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.